समेकित जिला नियोजन

कार्य से जुड़े

तकनीकी सहायता समूहों के क्षमता विकास के लिये

प्रशिक्षण
सूक्ष्म स्तरीय ग्राम पंचायत योजना
निर्माण
आयोजक

प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

समेकित जिला नियोजन

कार्य से जुड़े

तकनीकी सहायता समूहों के क्षमता विकास के लिये

प्रशिक्षण
सूक्ष्म स्तरीय ग्राम पंचायत योजना
निर्माण
आयोजक

प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

प्राक्कथन

लोकतंत्र में जन सामान्य का स्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में यदि विकास की योजनाओं को भी लोगों के द्वारा ही बनाया जाय तो यह लोकतंत्र की सबसे अच्छी स्थिति साबित होगी। लोकतंत्र के इन्हीं सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर संविधान में संशोधन करके और नियमों और कानूनों में बदलाव लाकर विकेन्द्रीकृत व्यवस्था को बढ़ाने के लिये अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश देश के उन राज्यों में से है जिन्होंने विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था को साकार करने की दिशा में पहल की है। 'ग्राम स्वराज' के सपने को साकार करने के लिये राज्य सरकार के द्वारा 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के बाद से ही अनेक प्रयास लगातार किये जा रहे हैं। इन प्रयासों से राज्य में विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था को बढ़ावा भी मिला है। मध्यप्रदेश सरकार के इन प्रयासों से देश के अन्य राज्यों के लिये नई सीखों के कई अवसर भी मिले हैं।

मध्यप्रदेश में विकेन्द्रीकृत आयोजना संबंधी सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने की दिशा में राज्य योजना आयोग ने भी अपनी ठोस भूमिका निभायी है। पिछले कुछ वर्षों से राज्य योजना आयोग द्वारा राज्य के सभी जिलों में चरणबद्ध विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिये जिला योजना समितियों द्वारा जिला योजनाओं को बनाने का काम शुरू किया गया है। यद्यपि इस काम में कुछ दिक्कतें तो आयी, किन्तु अब इसके अच्छे परिणाम भी सामने आने लगे हैं। राज्य में जिले के स्तर पर अब जिलों की योजनाओं को समय पर बनाने का काम किया जाने लगा है।

यूनीसेफ–मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग को संविधान की मंशा के अनुरूप जिले स्तर पर एकीकृत जिला योजनाओं को

बनवाने के लिये किये जा रहे प्रयासों में तकनीकी सहयोग देने के लिये एक परियोजना चलाई जा रही है। परियोजना का उद्देश्य यह है कि पूरे राज्य में विकेन्द्रीकृत आयोजना के आधार पर एकीकृत जिला योजना बनाने के काम में लगे सभी हितधारकों को जिला योजना के महत्व और इसको बनाने के काम की पूरी जानकारी मिल सके।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यूनीसेफ–मध्यप्रदेश ने 'प्रिया, नई दिल्ली' के सहयोग से जिला योजना तैयार करने के काम से जुड़े विभिन्न हितधारकों के क्षमता विकास के लिये प्रशिक्षण मार्गदर्शिकाओं की एक श्रृखंला प्रकाशित की है।

मैं आशा करता हूँ कि सभी प्रशिक्षण मार्गदर्शिका अपने–अपने उद्देश्यों को पूरा करने के साथ ही मध्यप्रदेश में जिले स्तर पर एकीकृत जिला योजनाओं को बनवाने में सहायक होंगी।

मंगेश त्यागी

सलाहकार, योजना आयोग

विषय क्रम

क्रम	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	प्राक्कथन	2
2	पृष्ठभूमि	5
3	मार्गदर्शिका के प्रयोग की विधि	6
4	प्रशिक्षकों हेतु कुछ खास बातें	7
5	जिला योजना निर्माण के संबंध में तकनीकी सहायता समूह के क्षमता वर्धन कार्यक्रम की प्रस्तावित रूपरेखा	8
6	सत्र–संचालन विवरण	9
7	प्रशिक्षण से संबंधित पठन सामग्री	22
8	समेकित जिला योजना	23
9	मध्य प्रदेश में नियोजन की संरचनात्मक व्यवस्था	24
10	तकनीकी सहायता समूहों का महत्व एवं भूमिका	29
11	समेकित जिला योजना हेतु सामुदायिक अभिप्रेरण	46
12	जिला योजना में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन	51
13	योजना विकास एवं परियोजना निरूपण	54
14	योजना निर्माण के दौरान निगरानी और देख भाल	60
15	जिला योजना में सामाजिक समावेश	62
16	सोशल ऑडिट	65
17	कार्यक्रम पर संभागियों की राय	71
18	संलग्नक – सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और सेवायें	74
19	संदर्भ ग्रन्थ	81

पृष्ठभूमि

जिला योजना निर्माण प्रक्रिया में स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर पर तकनीकी सहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन समूहों में प्रायः विषय विशेषज्ञ एवं विभागीय अधिकारी शामिल होते हैं। स्थानीय स्तर पर जुड़ाव को देखते हुये स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाना बेहतर होता है।

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन एवं योजना निर्माण में ग्राम सभाओं की मुख्य भूमिका हैं। जिला योजना निर्माण में तकनीकी सहायता समूह एक सहजकर्ता की तरह विभिन्न हितभागियों के साथ मिलकर योजना तैयार करने में सहयोग करेगा। जिला एवं ग्रामीण नियोजन की संरचनात्मक व्यवस्था के आधार पर वैसे तो शहरों एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर पर तकनीकी सहायता समूह/नियोजन दल होता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता समूह का होता है। यह समूह (जिन में विषय विशेषज्ञ, विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के लोग शामिल होते हैं), पंचायत प्रतिनिधियों, संबंधित क्षेत्र के समुदाय के साथ मिलकर 2–3 ग्राम पंचायतों के लिये योजना निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं।

जिला योजना के संदर्भ में गठित की जाने वाली तकनीकी सहायता समूह की नियोजन की प्रक्रिया में भूमिका को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है –

1. तकनीकी सहायता समूह स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों के प्रत्येक स्तर पर पंचायतों एवं शहरी निकायों को जिला नियोजन में उनके योगदान की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है।
2. तकनीकी सहायता समूह नियोजन प्रक्रिया में सहजकर्ता की भूमिका निभाता है।
3. तकनीकी सहायता समूह की सबसे प्रमुख भूमिका वार्ड सभा (ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में) के साथ मिलकर योजना तैयार करने की होती है।
4. तकनीकी सहायता समूह नियोजन प्रक्रिया में लोगों को नियोजन प्रक्रिया से जोड़ने के लिये सामुदायिक अभिप्रेरण (मोबलाइजेशन), योजना विकास एवं परियोजना निर्माण, सामाजिक समावेश एवं सोशल ऑडिट में भूमिका अदा करता है।

यह प्रशिक्षण मार्गदर्शिका नियोजन के प्रत्येक स्तर पर तकनीकी सहायता समूहों के लिये उपयोगी साबित होगी।

मार्गदर्शिका के प्रयोग की विधि

इस प्रशिक्षण मार्गदर्शिका को दो भागों में बॉटा गया है। पहले भाग में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आधार पर सत्र संचालन से संबंधित जानकारियों का संकलन दिया गया है जिससे प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न सत्रों को चलाने में सहायता मिलेगी। मार्गदर्शिका के दूसरे भाग में सत्रों को विषय वार विभाजित कर उनसे संबंधित विषय वस्तु को दिया गया है। प्रत्येक सत्र के निम्न भाग है एवं ये निम्नलिखित क्रम में हैं–

सत्र का शीर्षकः यह सत्र के मुख्य विषय की पहचान करवाता है। प्रशिक्षकों को सत्र के आरम्भ में प्रतिभागियों की सहजता के लिये यह शीर्षक श्याम पट्ट (ब्लैक बोर्ड) या फ्लिप चार्ट पर बडे अक्षरों में लिख देना चाहिये।

उद्देश्यः यह भाग इस बात का विवरण देता है कि सत्र के अंत तक प्रतिभागियों में ज्ञान, कौशल, दृष्टि तथा आचरण में बदलाव को प्रदर्शित करने वाली कौन–कौन सी विशेषतायें दिखायी देनी चाहिये। प्रशिक्षक को प्रत्येक सत्र आरम्भ करने से पूर्व इन उद्देश्यों को प्रतिभागियों के सामने प्रस्तुत करना चाहिये और अंत में यह पता लगाने के लिये कि उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं, एक बार फिर से चार्ट के आधार पर मूल्यांकन कर लेना चाहिये।

संभावित समयः यह सत्रों की अनुमानित अवधि बताता है। प्रशिक्षकों से यह आशा की जाती है कि वे प्रत्येक सत्र तथा गतिविधि/कार्य एक निश्चित समय सीमा के भीतर ही पूरा करें। प्रशिक्षक को यह प्रयत्न करना चाहिये कि सत्र का समापन दी गई अवधि में हो जाए। अधूरे सत्र की कोई उपयोगिता नहीं रहती।

प्रणालीः इससे सत्रों को सहभागी तरीकों से संचालित करने हेतु प्रशिक्षक द्वारा अपनाई गयी प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रणालियों में लेक्चर एवं समूह चर्चा, केस स्टडीस एवं खुली चर्चा शामिल हैं।

प्रशिक्षकों हेतु कुछ खास बातें

मिश्रित समूह में प्रशिक्षण देने वाले किसी प्रशिक्षक से निम्नलिखित अपेक्षायें की जाती हैं –

- सभी प्रतिभागियों के ज्ञान कौशल एवं क्षमता को ध्यान में रखते हुए, सभी विषयों पर चर्चा करे।
- प्रशिक्षण में पारस्परिक सहभागिता का अनुसरण करे एवं सभी प्रतिभागियों को बोलने एवं अपने विचार रखने का अवसर दे।
- प्रत्येक समूह कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर ही संपन्न कराये।
- समूह कार्य के दैरान समूहों में दिये गये कार्यों का स्पष्ट करने में प्रतिभागियों की मदद करे।

जिला योजना निर्माण के संबंध में तकनीकी सहायता समूह के क्षमता वर्धन का दो दिवसीय कार्यक्रम

(कार्यक्रम की प्रस्तावित रूपरेखा)

पहला दिन

अवधि	विषय वस्तु	प्रशिक्षण सामग्री	पद्धति
पहला सत्र 9.30 से 10.15	स्वागत, परिचय, कार्यक्रम का उद्देश्य, कार्यक्रम की रूपरेखा	चार्ट पेपर, मार्कर,	संभागियों के द्वारा दुगड्डे, तिगड्डे में
दूसरा सत्र 10.15 से 11.15	समेकित जिला योजना क्या है ? समेकित जिला योजना हेतु तकनीकी सहायता का समूहों महत्व एवं भूमिका	चार्ट पेपर, मार्कर, एल.सी.डी. और स्क्रीन	व्याख्यान, पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति
11.15 से 11.30	विराम (चाय सत्र)		
तीसरा सत्र 11.30 से 1.30	समेकित जिला योजना हेतु सामुदायिक अभिप्रेरणः परिचय, उद्देश्य, प्रक्रिया एवं तकनीक	चार्ट पेपर, मार्कर, एल.सी.डी. और स्क्रीन	व्याख्यान, पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति
1.30 से 2.00	भोजनावकाश		
चौथा सत्र 2.00 से 5.30	जिला योजना में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन, योजना विकास एवं परियोजना निर्माण	चार्ट पेपर, मार्कर, एल.सी.डी. और स्क्रीन	व्याख्यान, पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति

दूसरा दिन

अवधि	विषय वस्तु	प्रशिक्षण सामग्री	पद्धति
9.30 से 10.00	पहले दिन का पुनरावलोकन	चार्ट पेपर, मार्कर	संभागियों के द्वारा
पांचवां सत्र 10.00 से 1.30	योजना निर्माण के दौरान निगरानी और देख भाल, सामाजिक समावेश	चार्ट पेपर, मार्कर, एल.सी.डी. और स्क्रीन	व्याख्यान, समूह कार्य
1.30 से 2.30	भोजनावकाश		
छठां सत्र 2.30 से 4.00	जिला योजना में सोशल ऑडिट की भूमिका	चार्ट पेपर, मार्कर, एल.सी.डी. और स्क्रीन	व्याख्यान, पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति
4.00 से 4.15	विराम		
सातवां सत्र 4.15 से 5.30	कार्यक्रम से बनी सीख और संभागियों की राय, समापन और धन्यवाद ज्ञापन	फीड बैक फार्म, चार्ट पेपर, मार्कर	फीड बैक प्रपत्र

सत्र–संचालन विवरण

पहला सत्र

विषयः स्वागत, परिचय, कार्यक्रम का उद्देश्य, कार्यक्रम की रूपरेखा।

अवधि – 45 मिनट।

सत्र का उद्देश्य –

- कार्यक्रम में उपस्थित संभागियों को व्यवस्थित करना।
- परिचय के माध्यम से कार्यक्रम के दौरान सभी संभागियों को एक–दूसरे के साथ सौहाद्रपूर्ण वातावरण में विचार–विमर्श करने के लिये प्रेरित करना।
- कार्यक्रम के उद्देश्य व रूपरेखा की जानकारी देकर संभागियों को विभिन्न सत्रों में अपने विचार रखने के लिये तैयार करना।

प्रशिक्षण सामग्री – चार्ट पेपर, मार्कर।

सत्र संचालन की विधि – सत्र का संचालन प्रशिक्षक दल के सदस्यों द्वारा किया जायेगा। सत्र के आरम्भ में प्रशिक्षक दल द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी संभागियों का स्वागत किया जायेगा। संभागियों के स्वागत के बाद प्रशिक्षक दल के द्वारा संभागियों को अपना परिचय देने के लिये कहा जायेगा। इसके लिये संभागियों को दो–दो या तीन–तीन के समूहों में बॉटा जा सकता है। ये समूह किसी चित्र के बिखरे टुकडों को जोड़ कर, वर्ण माला के अक्षरों ('क' नाम के सभी लोगों का एक समूह), जन्म के महीनों (जनवरी माह में पैदा हुये लोगों का एक समूह) या दिवसों (किसी भी महिने में 1 से 5 तारीख के बीच पैदा हुये लोगों का एक समूह) इत्यादि के आधार पर बनाये जा सकते हैं। समूहों को आपस में चर्चा करके परिचय प्राप्त करने के लिये 10 से 15 मिनट का समय दिया जाना चाहिये।

संभागियों के द्वारा एक–दूसरे का परिचय प्राप्त कर लेने के बाद प्रशिक्षक दल के द्वारा उन्हें कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में बताया जायेगा। इसी समय प्रशिक्षक दल के सदस्य संभागियों को कार्यक्रम की प्रस्तावित रूपरेखा के बारे में भी बतायेंगे।

प्रशिक्षकों के लिये नोट –

- परिचय के दौरान सभी सहभागियों को खुलने और बोलने के लिये प्रेरित करें। ध्यान रखें कि यदि कोई सहभागी संकोच कर रहा हो तो उस पर ज्यादा दबाव भी न डालें।
- कार्यक्रम की प्रस्तावित रूपरेखा और उसके उद्देश्यों को बताते समय लोगों को यह एहसास करायें की योजना निर्माण का काम क्यों बहुत जरूरी है और इसे करते समय किस प्रकार की जानकारियों का होना बहुत आवश्यक है।
- जानकारी देते समय भाषा शैली इस प्रकार कि हो कि सभी लोग इसे आसानी से समझ सकें।

दूसरा सत्र

विषयः समेकित जिला योजना एवं तकनीकी सहायता समूहों का महत्व एवं भूमिका।

अवधि – 1 घंटा।

सत्र का उद्देश्य –

- संभागियों में समेकित जिला योजना के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानकारी देना।
- समेकित जिला योजना के निर्माण में तकनीकी सहायता समूहों की भूमिका के बारे में जानकारी देना।

प्रशिक्षण सामग्री – चार्ट पेपर, मार्कर, एल.सी.डी. और स्क्रीन।

सत्र संचालन की विधि – इस सत्र में प्रशिक्षक दल/ संदर्भ व्यक्ति के द्वारा जिला स्तरीय आयोजना से जुड़े महत्वपूर्ण सूत्रों की जानकारी दी जायेगी। प्रशिक्षक दल के सदस्यों के द्वारा संभागियों में विषय के प्रति उत्सुकता को बढ़ाने के लिये उनसे तकनीकी सहायता समूहों के संबंध में उनके विचार जानते हुये चर्चा की शुरूआत की जा सकती है। संभागियों के विचार जानने के बाद प्रशिक्षक के द्वारा तकनीकी सहायता का समूहों महत्व एवं भूमिका की एक विस्तृत चर्चा की जा सकती है।

प्रशिक्षक दल के द्वारा संभागियों को मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के अनुसार तकनीकी सहायता समूहों की भूमिका की जानकारी पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दी जाय तो संभागियों में विषय के प्रति उत्सुकता और बढ़ेगी।

प्रशिक्षकों के लिये नोट –

- संविधान की मंशा के अनुरूप राज्य स्तर पर विकेन्द्रीकृत जिला योजनाओं को बनाने तकनीकी सहायता दलों की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तकनीकी सहायता दलों में शामिल होने वाले लोगों, उनके विभागों और उनकी भूमिका के बारे में मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के द्वारा जारी प्रपत्रों का अध्ययन इस काम में उपोगी हो सकता है।
- विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।
- ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की योजनाओं के निर्माण में सहयोग के लिये गठित किये जाने वाले तकनीकी सहायता दलों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उनकी भूमिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

तीसरा सत्र

विषयः समेकित जिला योजना हेतु सामुदायिक अभिप्रेरण (मोबलाइजेशन)।

अवधि – 2 घंटा।

सत्र का उद्देश्य –

- समेकित जिला योजना के निर्माण हेतु तकनीकी सहायता समूहों में सामुदायिक जुडाव के चरणों के बारे में समझ विकसित करना।
- सामुदायिक जुड़ाव की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझना।
- विकेन्द्रीकृत समेकित जिला योजना के निर्माण में सामुदायिक जुडाव हेतु क्षमता विकास करना।

प्रशिक्षण सामग्री – चार्ट पेपर, मार्कर, एल.सी.डी. और स्क्रीन।

सत्र संचालन की विधि –

इस सत्र में प्रशिक्षक दल के सदस्यों के द्वारा समेकित जिला योजना हेतु सामुदायिक जुडाव को बताते हुये इसके महत्व और उपयोगिता के बारे में विस्तार से चर्चा की जायेगी। संभागियों को इस संदर्भ में विगत वर्षों में किये गये प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी जायेगी। प्रशिक्षक दल के द्वारा सत्र से संबंधित अपने व्याख्यान के बाद संभागियों के विचार को भी जाना जायेगा जिससे यह जानने में आसानी हो कि संभागियों में समेकित जिला योजना हेतु सामुदायिक जुडाव के प्रति कितनी सीख बन सकी है।

प्रशिक्षक दल के द्वारा इस सत्र को छोटे समूहों में चर्चा के आधार पर कराया जाय तो संभागियों में विषय के प्रति समझ और गहराई से बनेगी।

प्रशिक्षकों के लिये नोट –

- संविधान की मंशा के अनुरूप राज्य स्तर पर विकेन्द्रीकृत जिला योजनाओं को बनाने में समुदाय के लोगों के शामिल होने और न होने के कारण संभावित परिणामों पर चर्चा करें।
- तकनीकी सहायता दलों के द्वारा किस प्रकार समुदाय के लोगों को शामिल किया जा सकता है और इस संबंध में किस प्रकार की बातों पर ध्यान देना चाहिये, इसकी चर्चा करें। इस कार्य के लिये छोटे समूहों में चर्चा भी करायी जा सकती है।

- योजना निर्माण में कुछ समुदाय के लोगों जैसे महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को किस प्रकार से शामिल किया जाय इस पर चर्चा के दौरान विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
- जन समुदाय को शामिल किये जाने के लिये किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के दपायों की जानकारी भी दी जानी चाहिये।
- समुदाय के सहयोग से लाये गये परिवर्तन से संबंधित कुछ सफल उदाहरणें को फिल्मों या कहानियों के माध्यम से बता कर लोगों को जन समुदाय को शामिल करने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये।

चौथा सत्र

विषयः जिला योजना में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन, योजना विकास एवं परियोजना निरूपण।

अवधि – 3 घंटे 30 मिनट।

सत्र का उद्‌देश्य –

- जिला योजना में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के प्रति समझ विकसित करना।
- स्थानीय सरकारों एवं समुदाय द्वारा चुनी हुइ इच्छा सूची के अनुसार, परस्पर सहभागिता के आधार पर विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन की प्रक्रिया के माध्यम से विकास के लिये योजनाओं को विकसित करना।

प्रशिक्षण सामग्री – चार्ट पेपर, मार्कर, एल.सी.डी. और स्क्रीन।

सत्र संचालन की विधि – प्रशिक्षक द्वारा प्रतिभागियों के समक्ष सूक्ष्म स्तरीय नियोजन (माइक्रो प्लानिंग) पर व्याख्यान प्रस्तुत किया जायेगा। प्रतिभागियों को मिश्रित समूहों में विभाजित करके प्रत्येक समूह को सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के सभी चरणों के बारे में अपने–अपने समूह में चर्चा करने को कहें, उसके पश्चात प्रत्येक समूह सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के प्रमुख चरणों को अलग–अलग प्रस्तुत करेंगे।

इसके बाद प्रशिक्षक दल के द्वारा विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन की प्रक्रिया द्वारा स्थानीय विकास के लिये योजनाओं को विकसित करने संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों की जानकारी दी जायेगी। इन सूत्रों के आधार पर संभागियों में विकास से जुड़े लक्ष्यों को पहचानने, उनका प्राथमिकीकरण करने, उनसे संबंधित संसाधनों को पहचानने, संसाधनों को एकत्र करने जैसे विषयों पर क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा।

सत्र के दौरान प्रशिक्षक दल/ संदर्भ व्यक्ति के द्वारा ऐसे सकारात्मक और जमीनी उदाहरणों को भी संभागियों के साथ बॉटने का प्रयास किया जायेगा।

प्रशिक्षकों के लिये नोट –

- माइक्रो प्लानिंग के बारे मे विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लोगों को उसकी जानकारी दें।
- माइक्रो प्लानिंग के विभिन्न चरणें की जानकारी लोगों को दें। इसमें भी समस्याओं की पहचान और उनके प्राथमिकीकरण पर जानकारी दिया जाना जरूरी है।
- समस्याओं और उनकी प्राथमिकताओं का कार्य कर लेने के बाद उनके निपटारे के लिये योजनाओं को बनाने और उनको परियोजना (प्रोजेक्ट) का रूप देने के संबंध में जानकारी दें।
- विषय के संबंध में विस्तृत अध्ययन कर पहले से कुछ नोट्स बना लेने से चर्चा करने में आसानी होगी।
- माइक्रो प्लानिंग से संबंधित कुछ सफल उदाहरणें को फिल्मों या कहानियों के माध्यम से बता कर लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिये।

पांचवां सत्र

विषयः योजना निर्माण के दौरान निगरानी और देख भाल, सामाजिक समावेश।

अवधि – 3 घंटा 30 मिनट।

सत्र का उद्देश्य –

- जिला योजना के संदर्भ में स्थानीय स्तर पर बनने वाली योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया की देख रेख के प्रति समझ विकसित करना।
- सामाजिक बहिष्करण के फलस्वरुप बने विभिन्न समुदायों की अवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विकेन्द्रीकृत जिला योजना का निर्माण करना।

प्रशिक्षण सामग्री – चार्ट पेपर, मार्कर, एल.सी.डी. और स्क्रीन।

सत्र संचालन की विधि – प्रशिक्षक दल के द्वारा व्याख्यान समूहों चर्चा एवं समूह कार्य के आधार पर कराया जाय तो संभागियों में विषय के प्रति समझ और गहराई से बनेगी। प्रतिभागियों के मिश्रित समूहों में विभाजित करेंगे। समूह के सदस्यों से योजनाओं के निर्माण के दौरान निगरानी रखने के संबंध में उपयोग में लायी जा सकने वाली विधियों पर विचार करने को कहा जायेगा।

प्रशिक्षक दल/संदर्भ व्यक्ति के द्वारा पुराने अनुभवों को सामने रखते हुये यह सीख बनाने का प्रयास किया जायेगा कि किस प्रकार विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में सामाजिक समावेशन न होने से समाज के अधिकांश लोगों को विकास के परिणाम नहीं मिल सके।

इस दौरान उन्हें स्थानीय स्तर को ध्यान में रखकर विधियों का चयन करने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिय। प्रत्येक समूह का प्रतिनिधि अपने समूह द्वारा पहचानी गयी विधियों का प्रस्तुतीकरण करेगा।

सत्र के अन्त में प्रशिक्षक दल के द्वारा सभी समूहों के प्रस्तुतिकरण के आधार पर डीब्रिफिंग भी की जानी चाहिये जिससे सभी संभागी समूची चर्चा को एक बार फिर से आत्मसात कर सकें।

प्रशिक्षकों के लिये नोट &

- योजनाओं के निगरानी और देखभाल के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लोगों को उसकी जानकारी दें। निगरानी और देखभाल के विभिन्न टूल्स की जानकारी लोगों को दें।
- लोगों की जरूरतें किस प्रकार की हैं और उन्हें पूरा करने के लिये किस प्रकार की योजनाओं को बनाने की जरूरत है इस पर चर्चा करते हुये जनहित की योजनाओं की निरन्तर निगरानी के महत्व पर चर्चा की जानी चाहिये।
- विषय के संबंध में विस्तृत अध्ययन कर पहले से कुछ नोट्स बना लेने से चर्चा करने में आसानी होगी।
- लोगों के सहयोग और सहयभागिता से बनी योजनाओं से संबंधित कुछ सफल उदाहरणें को फिल्मों या कहानियों के माध्यम से बता कर लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिये।

छठां सत्र

विषयः जिला योजना में सोशल ऑडिट की भूमिका।

अवधि – 1 घंटा 30 मिनट।

सत्र का उद्देश्य –

- संभागियों में जिला आयोजना की प्रक्रिया में सोशल ऑडिट के महत्व के बारे में समझ विकसित हो सकेगी।
- लोग सोशल ऑडिट के विभिन्न टूल्स के बारे में जान सकेगे।
- लोग सोशल ऑडिट के टूल्स के उपयोग करने की विधियों को समझ सकेगे।

प्रशिक्षण सामग्री – चार्ट पेपर, मार्कर, एल.सी.डी. और स्क्रीन।

सत्र संचालन की विधि – सत्र के दौरान प्रशिक्षक दल/संदर्भ व्यक्ति के द्वारा विकास कार्यों की सफलता को सुनिश्चित करने के लिये सोशल ऑडिट के महत्व पर चर्चा की जायेगी। प्रशिक्षक दल/संदर्भ व्यक्ति के द्वारा पुराने अनुभवों को सामने रखते हुये यह सीख बनाने का प्रयास किया जायेगा कि किस प्रकार विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में सोशल ऑडिट न होने से समाज के अधिकांश लोगों को विकास के परिणाम नहीं मिल सके।

प्रशिक्षक दल/संदर्भ व्यक्ति के द्वारा पावर प्वाइंट के माध्यम से जिला योजना निर्माण के विभिन्न चरणों में सोशल ऑडिट के महत्व के संबंध में एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण भी किया जायेगा।

संभागियों में सोशल ऑडिट के संदर्भ में और गहरी समझ बनाने के लिये उन्हें सोशल ऑडिट पर फिल्म दिखायी जा सकती है।

प्रशिक्षकों के लिये नोट –

- लोगों को संदर्भ सामग्री में दिये गये साहित्य के अनुसार सोशल ऑडिट के बारे में जानकारी दें। उन्हें सोशल ऑडिट के द्वारा होने वाले लाभ की जानकरी दें।
- लोगों को सोशल ऑडिट के विभन्न तरीकों के बारे में जानकारी दें और यह बतायें कि किस प्रकार सोशल ऑडिट को किया जाना चाहिये।
- विषय के संबंध में विस्तृत अध्ययन कर पहले से कुछ नोट्स बना लेने से चर्चा करने में आसानी होगी।
- सत्र के दौरान सोशल ऑडिट पर बनी विभिन्न प्रेरक फिल्मों को दिखाया जा सकता है।

सातवां सत्र

विषयः कार्यक्रम पर संभागियों की राय, धन्यवाद ज्ञापन।

अवधि – 1 घंटा 15 मिनट।
सत्र का उद्देश्य – कार्यक्रम के दौरान आयोजित विभिन्न सत्रों में चर्चा के विषयों पर संभागियों की बनी सीख के बारे में जानकारी लेना। इसके साथ ही इस बात की जानकारी भी प्राप्त करना कि संभागियों को प्रशिक्षण की कौन सी पद्धति ज्यादा बेहतर लगी।

प्रशिक्षण सामग्री – फीड बैक फार्म, चार्ट पेपर, मार्कर।

सत्र संचालन की विधि – सत्र के दौरान प्रशिक्षक दल के द्वारा दो दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर संभागियों में बनी सीख को जानने का प्रयास किया जायेगा। इसके लिये पहले से तैयार फीड बैक प्रपत्र का प्रयोग किया जा सकता है।

फीड़ बैक प्रपत्र को संभागियों के साथ बड़े समूह में प्रश्नों के विभिन्‍न उत्तरों का हाथ उठा कर जबाव लिया जा सकता है। यदि सीख के संबंध में बेहतर दस्तावेज तैयार करना है और भविष्य में पुनः इसी समूह के क्षमता विकास के संबंध कोई और कार्यक्रम तय किया जाना है तो संभागियों के द्वारा प्रपत्र को भर कर देने का अनुरोध करना चाहिये। फीड बैक प्रपत्र भरने के लिये संभागियों को 10–15 मिनट का समय दिया जाना चाहिये।

प्रशिक्षकों के लिये नोट–

- लोगों से कार्यक्रम में शामिल किये गये विषयों से ही संबंधित प्रश्न पूछें।
- यदि लोगों को प्रश्नावली भरने में दिक्कत हो तो मूल्यांकन के अन्य तरीकों का इस्तेमाल करें।
- लोगों को मूलयांकन प्रपत्र में अपना नाम लिखने के लिये बाध्य न करें।

प्रशिक्षण से संबंधित पठन सामग्री

समेकित जिला योजना

भारत में 73वें एवं 74वें संविधानों के फलस्वरूप केन्द्रीकृत दृष्टिकोण के स्थान पर जिला नियोजन की परिकल्पना की गयी। 74वें संविधान संशोधन में पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को जिला योजना के प्ररूप में समेकित करने की बात कही गयी है। इन्हीं संशोधनों के अंतर्गत संविधान के भाग 9 और 9(ए) के पूर्ण क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से केन्द्र सरकार को सौपी गयी है।

संविधान की धारा 243 य घ के अनुसार देश के सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा। इस जिला योजना समिति के द्वारा स्थानीय सरकारों (ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी क्षेत्र में स्थानीय शहरी निकायों) के सबसे निचले स्तर (ग्राम सभा/वार्ड सभा) से शुरू होकर जिले के स्तर तक की एक वर्ष में किये जाने वाले कामों को समेकित करना है। जिला योजना समिति के द्वारा समेकित योजनाओं के दस्तावेज को ड्राफ्ट जिला योजना भी कहा जाता है।

विकेंद्रीकृत जिला योजना में विकास संबंधी ऐसे सभी काम शामिल होते हैं जिसे जिले की विभिन्न नियोजन ईकाइयॉ सामूहिक रूप से परिकल्पना करके, अपने–अपने बजटों और कौशलों का उपयोग करके और अपनी पहलकदमियों को आगे बढ़ा कर मिल–जुल कर हासिल कर सकती हैं। एक अच्छी विकेंद्रीकृत जिला योजना के अंतर्गत हर योजना इकाई (जैसे जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तरों पर पंचायतें, नगर पालिकायें, लाइन विभाग और पैरास्टेटल्स) लोगों के साथ परामर्श करके अपने कार्य और उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए एक योजना बनाती है। अंतिम रूप से जिला योजना एकीकरण की एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से इन इकाइयों की योजनाओं को एक साथ मिलाने का परिणाम होगा।[1]

---

[1] समेकित जिला नियोजन मैनुअल, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2008।

मध्य प्रदेश में नियोजन की संरचनात्मक व्यवस्था

मध्य प्रदेश में विकेन्द्रीकृत नियोजन की व्यवस्था को साकार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा राज्य के स्तर पर एक संरचना तैयार की गयी है। इस संरचना में राज्य योजना आयोग के सहयोग से जिला योजनाओं को विकेन्द्रीकृत पद्धति से तैयार करने का कार्य किया जाना है। राज्य में नियोजन की वर्तमान व्यवस्था को चित्र के माध्यम से दिखाया गया है।

मध्य प्रदेश में नियोजन की वर्तमान व्यवस्था

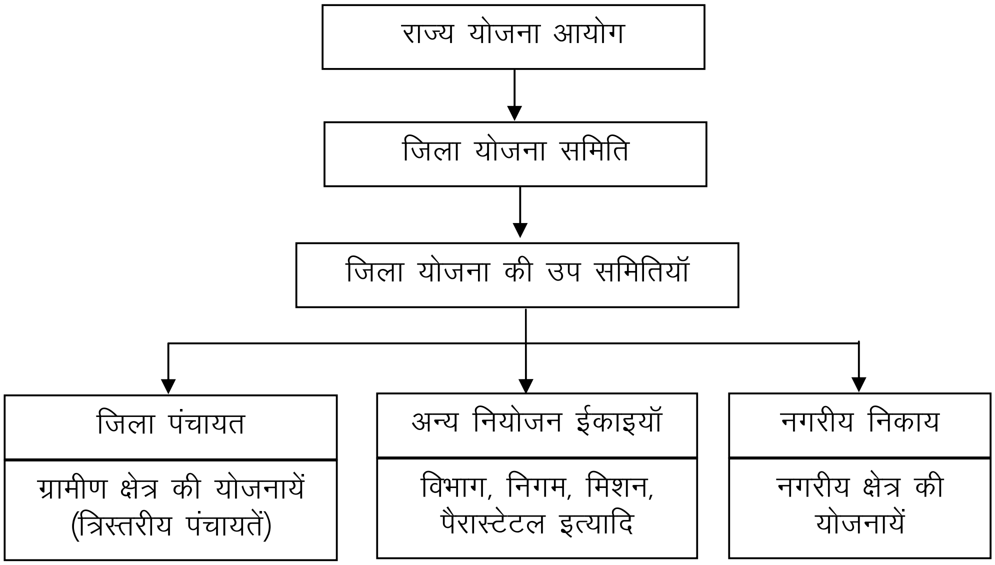

राज्य योजना आयोग
जिला योजना समिति
जिला योजना की उप समितियॉ
जिला पंचायत
ग्रामीण क्षेत्र की योजनायें (त्रिस्तरीय पंचायतें)
अन्य नियोजन ईकाइयॉ
विभाग, निगम, मिशन, पैरास्टेटल इत्यादि
नगरीय निकाय
नगरीय क्षेत्र की योजनायें

राज्य सरकार के द्वारा संविधान की मंशा के अनुसार जिले स्तर पर जिला योजना समिति को शीर्ष ईकाई के रूप में मान्यता दी है। जिला योजना समिति ही ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की योजनाओं को समेकित कर जिला योजना तैयार करेगी। ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं को तैयार करवाने की जिम्मेदारी जिला पंचायत की होगी। यहॉ महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी सभी नियोजन ईकाइयॉ जो सीधे जिला पंचायत के प्रति जवाबदेह नहीं हैं (विभाग, निगम, मिशन, पैरास्टेटल इत्यादि) उनके द्वारा भी अपनी योजनाओं को तैयार कर जिला योजना समिति को दिया जाना है।

ग्रामीण विकास से जुड़े निगम, मिशन, पैरास्टेटल इत्यादि	शहरी विकास से जुड़े निगम, मिशन, पैरास्टेटल इत्यादि
सर्व शिक्षा अभियान	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)
राजीव गॉधी जल ग्रहण मिशन	मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वस्थ्य मिशन	ग्राम एवं नगर निवेश संगठन
राजीव गॉधी कम्प्युटर साक्षरता मिशन	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
राष्ट्रीय बागवानी मिशन	शहरी विकास प्राधिकरण
इस प्रकार के अन्य अभियान	इस प्रकार के अन्य संस्थान

जिला योजना समिति की प्रमुख भूमिका

मध्य प्रदेश के संदर्भ में जिला योजना समितियों की भूमिका को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है–

- जिला योजना निर्माण में नेतृत्व की भूमिका अदा करना।
- जिले की स्थानीय अपेक्षाओं, प्राथमिकताओं का विश्लेषण कर समावेशित एवं सहभागी विजन निर्माण में मुख्य भूमिका निभाना।
- स्थानीय निकायों, संबंधित विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य हितभागियों के साथ चर्चा कर जिले के विकास की प्राथमिकताओं को तय करना।
- स्थानीय स्तर पर तैयार की गयी योजनाओं के दोहराव को रोकना।
- जिले स्तर पर योजनाओं के समेकन के समय स्थानीय निकायों एवं विकास से जुड़ी विभागों की योजनाओं के आधार पर यह सुनिश्चित करना कि उनसे जिले के विजन को हासिल किया जा सके।
- जिले के विकास की योजना को समय सीमा मे तैयार करवाने में सहयोग देना।
- स्थानीय स्तर पर विकास की योजनाओं का निर्माण करने के संबंध में स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का क्षमता विकास करवाना।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण नियोजन की व्यवस्था

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन एवं योजना निर्माण में ग्राम सभाओं की मुख्य भूमिका है। ग्राम सभाओं के द्वारा स्थानीय स्तर पर तैयार की गयी योजनाओं के साथ ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों के समेकन से जिला पंचायत के द्वारा जिला पंचायत जिल की योजना को तैयार करेगी। इस योजना को जिले के ग्रामीण विकास की योजना भी कहते हैं।

जिला पंचायत के स्तर पर बनने वाली योजना की प्रक्रिया को निम्न चित्र के आधार पर समझा जा सकता है–

मध्य प्रदेश में ग्रामीण नियोजन की संरचनात्मक व्यवस्था

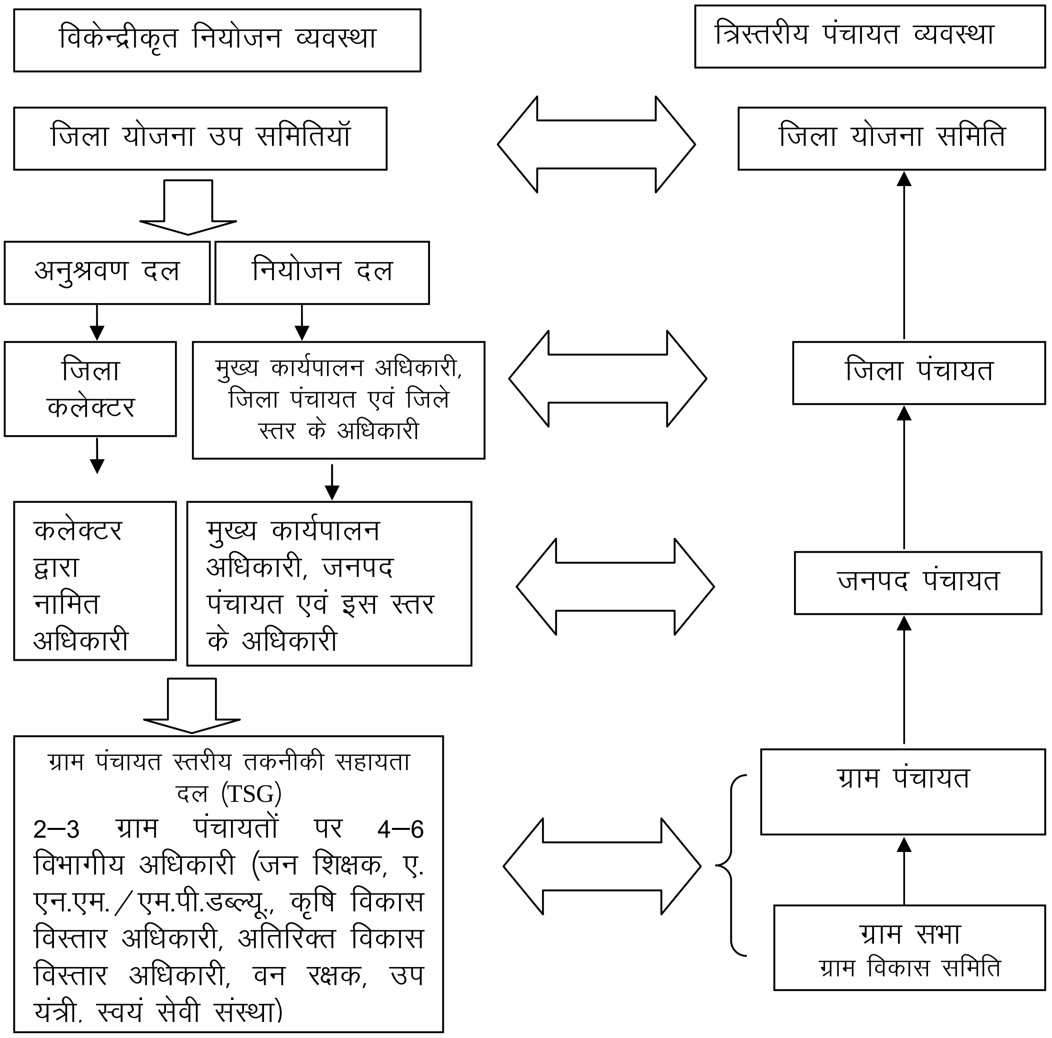
विकेन्द्रीकृत नियोजन व्यवस्था
त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था
जिला योजना उप समितियॉ
जिला योजना समिति
अनुश्रवण दल
नियोजन दल
जिला कलेक्टर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं जिले स्तर के अधिकारी
जिला पंचायत
कलेक्टर द्वारा नामित अधिकारी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं इस स्तर के अधिकारी
जनपद पंचायत
ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता दल (TSG)
2–3 ग्राम पंचायतों पर 4–6 विभागीय अधिकारी (जन शिक्षक, ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू., कृषि विकास विस्तार अधिकारी, अतिरिक्त विकास विस्तार अधिकारी, वन रक्षक, उप यंत्री. स्वयं सेवी संस्था)
ग्राम पंचायत
ग्राम सभा
ग्राम विकास समिति

मध्य प्रदेश में शहरी नियोजन की संरचनात्मक व्यवस्था

74वें संविधान संशोधन के अनुसार स्थानीय नगरीय निकाय अपने आप में एक स्वतंत्र ईकाई है। किसी भी जिले की विभिन्न नगरीय निकायों की योजनाओं को समेकित करने की जिम्मेदारी जिला योजना समिति की होगी। नगरीय निकायों के संदर्भ में राज्य में नगर नियोजन की संरचना वार्ड के स्तर तक तय की गयी है। नगर निगमों में यह संरचना क्षेत्र सभा/ मुहल्ला सभा समिति तक होगी।

मध्य प्रदेश में शहरी नियोजन की संरचनात्मक व्यवस्था

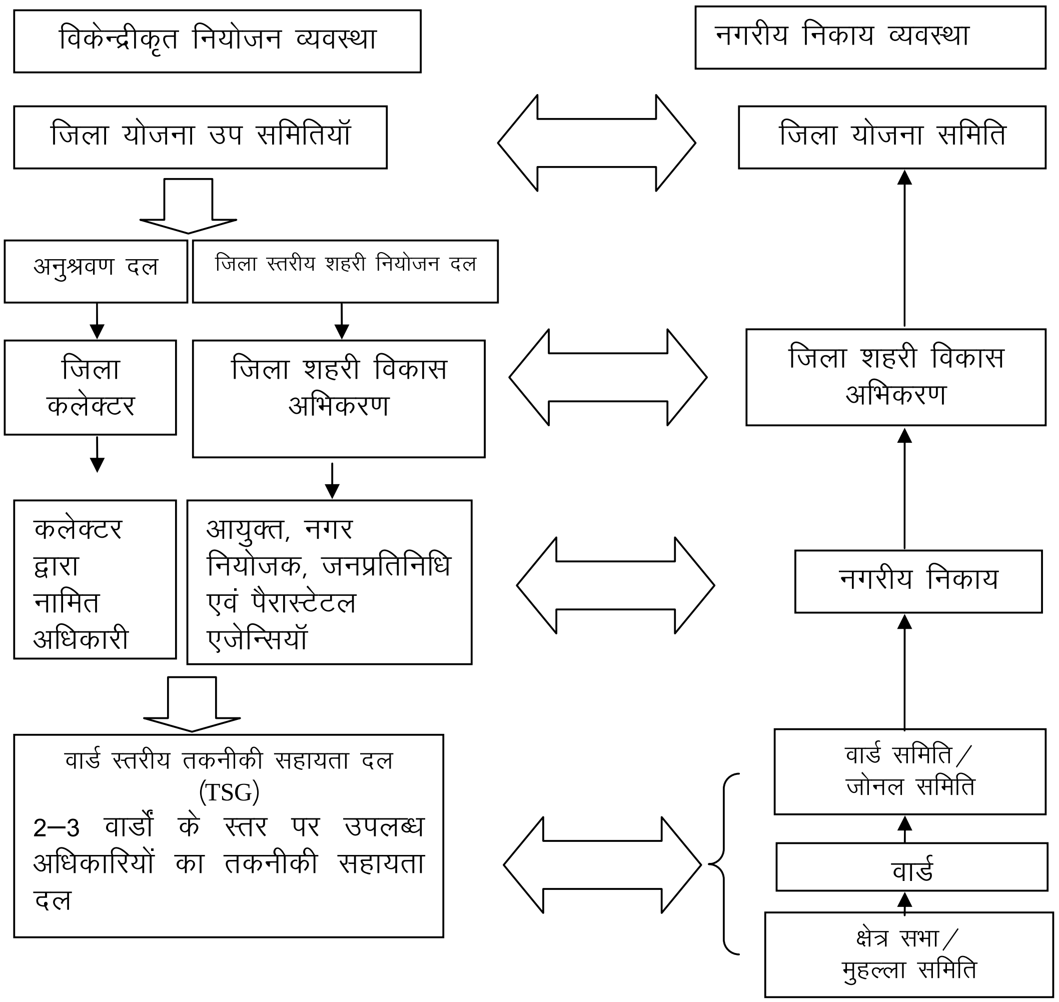
विकेन्द्रीकृत नियोजन व्यवस्था
नगरीय निकाय व्यवस्था
जिला योजना उप समितियॉ
जिला योजना समिति
अनुश्रवण दल
जिला स्तरीय शहरी नियोजन दल
जिला कलेक्टर
जिला शहरी विकास अभिकरण
जिला शहरी विकास अभिकरण
कलेक्टर द्वारा नामित अधिकारी
आयुक्त, नगर नियोजक, जनप्रतिनिधि एवं पैरास्टेटल एजेन्सियॉ
नगरीय निकाय
वार्ड स्तरीय तकनीकी सहायता दल (TSG)
2–3 वार्डों के स्तर पर उपलब्ध अधिकारियों का तकनीकी सहायता दल
वार्ड समिति/ जोनल समिति
वार्ड
क्षेत्र सभा/ मुहल्ला समिति

विकेंद्रीकृत जिला योजना के चरण

विकेन्द्रीकृत जिला योजना एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जिले के लक्ष्यों को ध्यान में रख कर योजनाओं का निर्माण सूक्ष्म स्तर से बड़े स्तर की ओर किया जाता है। विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण के कुछ प्रमुख चरण निम्नवत् हैं–

- प्रासंगिक तथ्य और ऑकड़े एकत्रित करना,
- प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए तथ्यों और ऑकडों का विश्लेषण करना,
- निर्धारित प्राथमिकताओं का उपलब्ध बजट के साथ मिलान करना,
- क्रियान्वयन की प्रक्रियाओं को परिभाषित करना और लक्ष्य निर्धारित कर उनका अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) करना

समेकित जिला योजना और तकनीकी सहायता समूह

समेकित जिला योजना निर्माण प्रक्रिया से जुडे पूर्व के अनुभवों से ज्ञात हुआ है कि परियोजनाओं की सही ढंग से समीक्षा करने के लिए पंचायत के प्रत्येक स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञ को नियुक्त करना एक कठिन कार्य रहा है। ऐसे में जिला योजनाओं की समीक्षा, वित्तीय योजना एवं तकनीकी परीक्षण के लिए एक नए चरण की शुरुआत की गयी। इस चरण के माध्यम से समेकित जिला योजना के निर्माण के लिये तकनीकी सहायता समूहों के गठन का प्रस्ताव किया गया है।

ध्यान देने की बात यह है कि तकनीकी सहायता समूह में शामिल व्यक्तियों की भूमिका परियोजनाओं को चुनना एवं अस्वीकार करना न होकर परियोजनाओं में आने वाली संभावित तकनीकी एवं वित्तीय कमियों के बारे में जानकारी देते हुये उनसे सही योजनाओं का निर्माण करवाना है।

तकनीकी सहायता समूहों में स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले लोगों के साथ–साथ वहॉ के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों को शामिल किये जाने को स्वीकार किया गया है। इसमें मुख्य रूप से विभिन्न विभागों के लोक सेवकों को शामिल किया गया है जिससे उनके अनुभवों का लाभ स्थानीय स्तर पर बनायी जाने वाली योजनाओं में लिया जा सके। इसके साथ ही तकनीकी सहायता समूहों में समुदाय के लोगों के साथ जुड़ कर काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी शामिल किये जाने की बात कही गयी है।

तकनीकी सहायता समूहों की आवश्यकता और उनकी भूमिका

मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के अनुसार पंचायत (ग्राम व नगर) के प्रत्येक स्तर पर, नियोजन एवं अनुश्रवण दल, तकनीकी सहायता समूहों के रुप में समेकित जिला योजना के निर्माण में पंचायतों और नगरीय निकायों को सहायता प्रदान करेगा। स्थानीय स्वशासन की विभिन्न ईकाइयों के स्तरों पर तकनीकी सहायता समूहों के गठन और उनकी भूमिका को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

नियोजन दल की भूमिका

जिला योजना निर्माण में नियोजन दल की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। यह दल मुख्य रूप से योजना तैयार कर उसे एक स्तर से दूसरे स्तर पर जोड़ने का कार्य करेगा। यह दल एक सहजकर्ता की तरह विभिन्न हितभागियों के साथ मिलकर योजना तैयार करेगा। जिला योजना समिति का दायित्व होगा कि वह नियोजन दल का प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास सुनिष्चित करे ताकि यह दल जानकारी एकत्रित कर सके, प्रपत्रों में जानकारी भर सके, उसका विष्लेषण, प्राथमिकता इत्यादि तय कर सके। विभिन्न स्तरों पर नियोजन दल की संरचना को नीचे समझाया जा रहा है, जिसके अनुसार नियोजन दलों का गठन किया जाये।

(1) जिला स्तरीय नियोजन दल –

जिला स्तरीय नियोजन दल में कम से कम 6 सदस्य होंगे। इस दल का गठन जिला योजना समिति के मार्गदर्शन में किया जायेगा। इस दल में संबंधित विभागों के अधिकारी नियोजन के विषय विशेषज्ञ, सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाएं, एवं अन्य संस्थानों से जुड़े लोग हो सकते हैं। इस दल की मुख्य जिम्मेदारी जिलें मे नियोजन के निचले स्तरों के आवश्यक सहयोग, प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराना एवं जनपद पंचायतों की समेकित योजनाओं को प्राप्त कर उनके समेकन से जिला ग्रामीण योजना तैयार करना होगी। साथ ही नियोजन दल जिला ग्रामीण योजना के अंतर्गत क्षेत्रकवार विश्लेषण कर जिला योजना समिति की क्षेत्रक संबंधित उप–समितियों को दिखाकर उनके सुझावों को समाहित करेगा।

जिला नियोजन दल की संरचना

जिला स्तरीय नियोजन दल में निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल किया जायेगा –

- ✓ संबधित लाइन विभाग के नियोजन में विशेषज्ञ अधिकारी।
- ✓ सक्रिय गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि

- ✓ अन्य विशेषज्ञ
- ✓ दल में कम से कम 6 सदस्य होंगे।

जिला नियोजन दल की जिम्मेदारी

जिला नियोजन दल की जिम्मेदारियों को निम्नवत् देखा जा सकता है–

- निचले स्तर के पंचायतों को योजना बनाने मे सहयोग करना,
- संसाधन उपलब्ध कराना,
- जनपद पंचायत की योजनाओं को समेकित करना।
- नियोजन दल जिला ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी योजनाओं का विश्लेषण कर जिला योजना समिति एवं संबंधित उप–समितियों को दिखाकर उनके सुझाव को समाहित करना।

(2) जनपद स्तरीय नियोजन दल –

ग्राम सभाओं एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन के लिये वातावरण निर्माण, तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण एवं इस दल में जनपद स्तरीय विभागों के अधिकारी, सेवा अवकाश प्राप्त अधिकारी, सक्रिय स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य एवं अन्य संस्थानों से जुड़े व्यक्ति हो सकते हैं। यह दल कम से कम 6 सदस्य होने चाहिये। जनपद अपनी आवश्यकतानुसार नियोजन दल में सदस्यों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। इस दल की मुख्य जिम्मेदारी जिले मे नियोजन के निचले स्तरों के आवष्यक सहयोग, प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराना एवं ग्राम पंचायतों से प्राप्त योजनाओं का जनपद स्तर पर समेकन करना तथा जनपद की योजना तैयार करना होगा। साथ ही दो से अधिक ग्राम पंचायतों से संबंधित कार्यों को भी योजना में शामिल करेगा। जैसे–दो या अधिक पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क हो सकती है या कुछ पंचायतों पर आजीविका या नवाचार संबंधित कोई केन्द्र इत्यादि गतिविधि हो सकती है।

जनपद पंचायत नियोजन दल की संरचना

जनपद पंचायत के स्तर पर तकनीकी सहायता समूह का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों को मिला कर किया जायेगा–

- ✓ लाइन विभागों के संबधित ब्लाक स्तरीय अधिकारी
- ✓ सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी

- ✓ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि
- ✓ अन्य विशेषज्ञ
- ✓ दल में कम से कम 6 सदस्य होंगे।

जनपद पंचायत नियोजन दल की जिम्मेदारी

जनपद पंचायत स्तर पर गठित नियोजन दल की जिम्मेदारी निम्न प्रकार की होगी–

- निचले स्तर पर पंचायतों का सहयोग,
- प्रशिक्षण की व्यवस्था करना,
- संसाधन उपलब्ध कराना,
- जनपद पंचायतों की योजनाओं एवं ग्राम पंचायत की योजना का समेकन करना

(3) ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता दल (TSG)–

ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता दल में विभिन्न विभाग के जमीनी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी एवं सक्रिय स्वयंसेवी संस्था/स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि हो सकते हैं। विभागों के जमीनी कार्यकर्ता की उपलब्धता को दखते हुए इसका गठन दो या तीन पंचायतों के कलस्टर पर किया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी इन पंचायतों में नियोजन की प्रक्रियाओं का संचालन करना होगी।

प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता दल (TSG) में 4–6 या उससे अधिक सदस्य होंगे। जिसमें जमीनी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी एवं सक्रिय स्वयंसेवी संस्था/स्वैच्छिक संगठन के अनुभवी लोग होंगे। इस दल के गठन की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की होगी, जो संबंधित विभागों जिला एवं जनपद स्तरीय नियोजन दल के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा इनका विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

तकनीकी सहायता दल की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत में आने वाले सभी ग्रामों में नियोजन प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन जैसे–ं ग्राम पंचायत का विजन निर्माण, संबंधित क्षेत्रकों की ग्रिड के आधार पर ग्राम योजना तैयार करना तथा ग्रामों की योजना के समेकन से ग्राम पंचायत की योजना तैयार करना इत्यादि होगा। जिलों में वर्तमान स्थति को देखते हुए जमीनी स्तर के अधिकारी के रूप में निम्न व्यक्ति हो सकते है–

1. शिक्षा क्षेत्रक के लिए – जनशिक्षक, संकुल समन्वयक इत्यादि
2. स्वास्थ्य क्षेत्रक के लिए – ए.एन.एम / एम.पी.डब्ल्यू / परीवेक्षक महिला एवं बाल विकास इत्यादि
3. आजीविका क्षेत्रक के लिए – कृषि विस्तार अधिकारी, अतिरिक्त विकास विस्तार अधिकारी, उप वन क्षेत्रपाल इत्यादि
4. अधोसंरचना क्षेत्रक के लिए – ग्रामीण यांत्रिकी / लोक निर्माण / सिचांई / नरेगा इत्यादि से उप–यंत्री
5. ऊर्जा, ईंधन एवं नागरीक अधिकार क्षेत्रक के लिए– वन / राजस्व विभाग से वन क्षेत्रपाल / पटवारी इत्यादि
6. सक्रिय एवं अनुभवी स्वयं सेवी संस्था या स्वैच्छिक संगठन इत्यादि

ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता दल के मुख्य कार्य निम्नवत होंगे–

- प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता दल 2 से 3 पंचायतों (10 ग्राम में) में योजना निर्माण की प्रक्रियाओं का संचालन करेंगे। स्थानीय परिस्थिति के अनुसार संख्या परिवर्तित भी हो सकती है।

- सौंपी गई ग्राम पंचायतों में आनेवाले सभी ग्रामों में नियोजन प्रक्रियाओ का संचालन एवं योजना निर्माण का कार्य करवाना।

- ग्राम विकास समिति / ग्राम नियोजन समिति का गठन एवं योजना निर्माण पर उन्मुखीकरण तथा प्रक्रियाओं के संचालन में सहयोग देना।

- ग्राम विकास समिति के साथ मिलकर ग्राम के उपेक्षित वर्गों की पहचान करना एवं उपेक्षित वर्गों के साथ बैठकर अलग–अलग क्षेत्रकों से जुड़ी समस्याओं को चिन्हित करने में ग्राम विकास समिति का सहयोग करना।

- समस्याओं के प्राथमिकीकरण एवं विष्लेषण के आधार पर आवष्यक विकल्पों की पहचान करने में ग्राम विकास समिति के लोगों की सहायता करना एवं कार्यों को उपयुक्त योजनाओं के साथ जोड़ना।

- योजना निर्माण में अधोसंरचना, तकनीकी एवं बजट आदि मुद्दों पर तकनीकी सहयोग के लिए जनपद एवं जिले से मदद लेना।

(4) ग्राम सभा स्तरीय नियोजन दल –

ग्राम सभा स्तर पर नियोजन की जिम्मेदारी ग्राम विकास समिति की होगी, क्योंकि ग्राम विकास समिति ग्राम सभा की स्थाई समिति है जिसे पंचायत अधिनियम के अंतर्गत ग्राम में नियोजन करने की जिम्मेदारी दी गई है। ग्राम विकास समिति ही ग्राम नियोजन की प्रक्रियाओं को ग्राम स्तर पर TSG के सहयोग से संचालित करेगी। ग्राम सभा अपनी आवष्यकता के अनुसार नियोजन की प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए अस्थाई समिति का गठन भी कर सकती है। ऐसी अस्थाई समिति को ग्राम नियोजन समिति कहा जायेगा।

इसका गठन, ग्राम सभा की ग्राम विकास समिति का विस्तार कर किया जा सकता है। ग्राम विकास समिति के विस्तार की आवश्यकता नियोजन प्रक्रिया में ग्रामीणों की अधिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है।

महिलाओं की भागिदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वार्ड से इस ग्राम नियोजन समिति मे कम से कम एक महिला को अवश्य शामिल किया जाना चाहिये। इसके लिए ग्राम में आनेवाले सभी वार्ड के पंचों के अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड से जानकारों (पढ़े–लिखे/अनुभवी) की एक सूची तैयार की जाये और इस सूची के उपयोग से निम्नलिखित संरचना के आधार पर ग्राम नियोजन समिति के लिए पंचों के अतिरिक्त सदस्यों का चयन किया जायेगा।

- ग्राम नियोजन समिति में कम से कम 7 सदस्यों को रखा जायेगा। आशय यह है कि ग्राम में वार्डों की संख्या कम होने पर भी नियोजन प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलाई जा सके।
- ग्राम नियोजन समिति में प्रत्येक वार्ड[1] से कम से कम दो सदस्यों का चयन किया जाना चाहिये। जिनमें से एक अनिवार्यतः महिला सदस्य होगी।
- प्रत्येक वार्ड स्तर का पहला सदस्य वार्ड से चुना हुआ पंचायत प्रतिनिधि (पंच) होगा/होगी।
- वार्ड के दूसरे सदस्य के रूप में पंच के बाद सर्वप्रथम स्थान वार्ड में रहने वाले ग्राम सभा के स्थाई समिति के सदस्य को दिया जाये। यदि वार्ड में स्थाई समिति का कोई सदस्य नहीं है तो जानकारों की सूची में से सदस्य का चयन किया जाये। जानकारों

---

[1] ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन – (1) एक ग्राम पंचायत में कम से कम दस वार्ड और अधिकतम बीस वार्ड हो सकते है, (2) प्रत्येक वार्ड में एक सदस्यीय प्रतिनिधि होता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है।

के रूप में ग्राम के स्व–सहायता समूह के सदस्य, पालक शिक्षा संघ, रोजगार गारंटी के मेट और अन्य सक्रिय संस्थाओं के प्रतिनिधि इत्यादि हो सकते है।

- यदि किसी वार्ड में एक से अधिक जानकार/सक्रिय सदस्य हो और वह नियोजन प्रक्रियाओं में भाग लेने को तैयार हो, तो ग्राम सभा चाहे तो उस वार्ड से दो से अधिक सदस्यों का चयन कर सकती है।
- नियोजन में महिलाओं की भागीदारी सुनिष्चित करने के लिए यह ध्यान दिया जाये की यदि किसी वार्ड में वार्ड पंच पुरूष है तो ग्राम नियोजन समिति की दूसरी सदस्य महिला होगी और यदि वार्ड पंच महिला है तो ग्राम नियोजन समिति का दूसरा सदस्य पुरूष होगा। इस तरह करने से ग्राम नियोजन समिति में महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत सुनिष्चित की जा सकेगी।
- ग्राम नियोजन समिति के अध्यक्ष ग्राम पंचायत के सरपंच होंगे।

ग्राम विकास समिति के कार्य

ग्राम की नियोजन प्रक्रियाओं मे समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। समिति के सदस्यों को ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता दल (TSG) की मदद से ग्राम के लोगों के साथ मिलकर योजना निर्माण की पूरी प्रक्रियाओं का संचालन करना होगा तथा ग्राम के विकास के लिए कार्ययोजना का तैयार कराना होगा।

- नियोजन के प्रत्येक चरण में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ग्राम के विभिन्न उपेक्षित वर्गों के समूहों के साथ मिलकर समस्याओं की पहचान करना एवं उनकी प्राथमिकीकरण करने के लिए बैठकों का संचालन करना।
- ग्राम की समस्याओं पर विचार विमर्श कर उपयुक्त विकल्पों की तलाश करना।
- वार्ड स्तर पर लोगों के साथ मिलकर योजना निर्माण पर चर्चा एवं उनके सुझावों को शामिल करना।
- ग्राम सभा की कार्य योजना तैयार करना।
- ग्राम सभा में कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण एवं सुझावों को शामिल कर ग्राम की योजना का ग्राम सभा से अनुमोदन करवाना।
- ग्राम सभा अनुमोदन के बाद यदि भविष्य में नई समस्या या विकल्प सामने आते है तो उपयुक्त गतिविधि तय कर उसे ग्राम की योजना में जोड़ना।
- राज्य/जिला एवं जनपद द्वारा नियोजन प्रक्रिया से संबंधित दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्य कर योजना निर्माण की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करना।

अनुश्रवण दल

जिला ग्रामीण नियोजन प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप में संचालित करने एवं सभी स्तरों पर निगरानी करने के लिए जिला एवं जनपद पंचायत के स्तर पर अनुश्रवण दलों का गठन किया जायेगा। जिला स्तरीय अनुश्रवण दल जनपद पंचायत के स्तर पर हो रहे नियोजन प्रक्रिया की निगरानी करेगा तथा जनपद स्तरीय अनुश्रवण दल अपने जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के स्तर पर नियोजन की प्रक्रिया की निगरानी करेगा। यह अनुश्रवण दल चेकलिस्ट के उपयोग से नियोजन प्रक्रियाओं की निगरानी करेगे। अनुश्रवण दल यह सुनिष्चित करेगे कि नियोजन संबंधित सभी प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन हो और उनकी गुणवत्ता अच्छी हो। विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण कलेक्टर एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी करेगे।

नियोजन हेतु प्रषिक्षक व्यवस्था

विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि, ग्राम विकास समिति, संबंधित विभाग एवं अन्य हितभागियों द्वारा नियोजन प्रक्रियों का संचालन करते हुए जिला ग्रामीण विकास योजना निर्माण का कार्य करना है। नियोजन की प्रक्रियाओ पर इन लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए जिला स्तरीय नियोजन दल एवं जनपद स्तरीय नियोजन दल के कुछ सदस्यों का एक प्रशिक्षक दल तैयार किया जायेगा। इसके लिए जिला एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियोजन दल में से 4–5 अनुभवी/प्रभावी प्रशिक्षकों का चयन किया जायेगा। यह प्रशिक्षक संबंधित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी या अन्य कोई व्यक्ति या संस्था के लोग हो सकते है जिन्हें प्रशिक्षण देने का कम से कम तीन–चार वर्ष का अनुभव हो। इन प्रशिक्षकों को विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन पर प्रक्षिण दिया जायेगा। प्रशिक्षक दल की मुख्य जिम्मेदारी प्रशिक्षण ग्राम पंचायत स्तर के तकनीकी सहायता दल (TSG) के सदस्यों को विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया पर प्रशिक्षित करना।

नगरीय निकाय नियोजन व्यवस्था

नगरीय निकाय अपने आप में स्वशासन की एक स्वतंत्र इकाई है। विभिन्न नगरीय निकायों की योजनाओं को समेकित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला योजना समिति की होगी जो अपनी उप–समितियों के माध्यम से यह कार्य करेगी। प्रत्येक नगरीय निकाय अपने स्तर की योजना तैयार कर जिला योजना समिति की संबंधित उप–समितियों को सौपेंगे और उप–समिति नगरीय क्षेत्र की योजना को अंतिम रूप देगी।

जिला स्तरीय नियोजन दल

नगरीय निकायों की योजना निर्माण में नियोजन दल की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। शहरी क्षेत्रों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिये जिला स्तरीय नियोजन दल बनाया जायेगा। जिसके संचालन में जिला शहरी विकास अभिकरण को मुख्य भूमिका दी जा सकती है। प्रत्येक नगरीय निकाय में भी नियोजन की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए नियोजन दल का गठन किया जावेगा। यह दल मुख्य रूप योजना तैयार कर उसे एक स्तर से दूसरे स्तर पर जोड़ने का कार्य करेगा। यह दल एक सहजकर्ता की तरह काम करेगा जो विभिन्न हितभागियों के साथ मिलकर योजना तैयार करेगा। जिला स्तरीय नियोजन दल का यह दायित्व होगा कि वह जिला योजना समिति के सहयोग से प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास को सुनिष्चित करे ताकि नियोजन दल के सदस्य योजना निर्माण के लिए संबंधित जानकारी एकत्रित कर सके, प्रपत्रों में जानकारी भर सके, उसका विष्लेषण, प्राथमिकता इत्यादि कर सके।

नगर पालिका/नगर पंचायतों के अंतर्गत दो स्तरों पर (वार्ड एवं नगर पालिका/नगर पंचायत) नियोजन दल गठन किया जायेगा। इनके गठन की जानकारी नीचे दी जा रही है :–

(1) वार्ड स्तरीय नियोजन दल–

प्रत्येक वार्ड स्तर पर नियोजन दल का गठन किया जायेगा, जिसमें कम से कम 5 सदस्य होगे, जिसमें संबंधित वार्ड सदस्य, संबंधित विभाग के अधिकारी, संबंधित वार्ड कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वैच्छिक समूह/संगठन के सदस्य इत्यादि को रखा जा सकता है। यह नियोजन दल अपने वार्ड में मार्गदर्शिका के अनुसार उपेक्षित वर्गों का चयन कर उनसे चर्चा कर वार्ड की योजना तैयार करेगा।

(2) नगर पालिका/नगर पंचायत स्तरीय नियोजन दल

नगर पालिका/नगर पंचायत स्तर पर नियोजन दल में कम से कम 8 सदस्य होगे। इस दल में नगर पालिका /नगर पंचायत के संबंधित विभाग के अधिकारी, संबंधित विषय विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्था इत्यादि को रखा जाना चाहिये। नियोजन दल के सदस्यों के चयन में यह ध्यान रखा जाये कि प्रत्येक वार्ड के नियोजन दल का प्रतिनिधित्व आवश्यक रूप से रहे। इन दल का मुख्य कार्य यह होगा कि वह प्रत्येक वार्ड की योजनाओं को समेकन कर नगर पालिका/नगर पंचायत की योजना तैयार करे। तकनीकी सहायता दल प्रत्येक नगरीय निकायों में वार्डों के स्तर पर एक तकनीकी सहायता दल का गठन किया जायेगा।

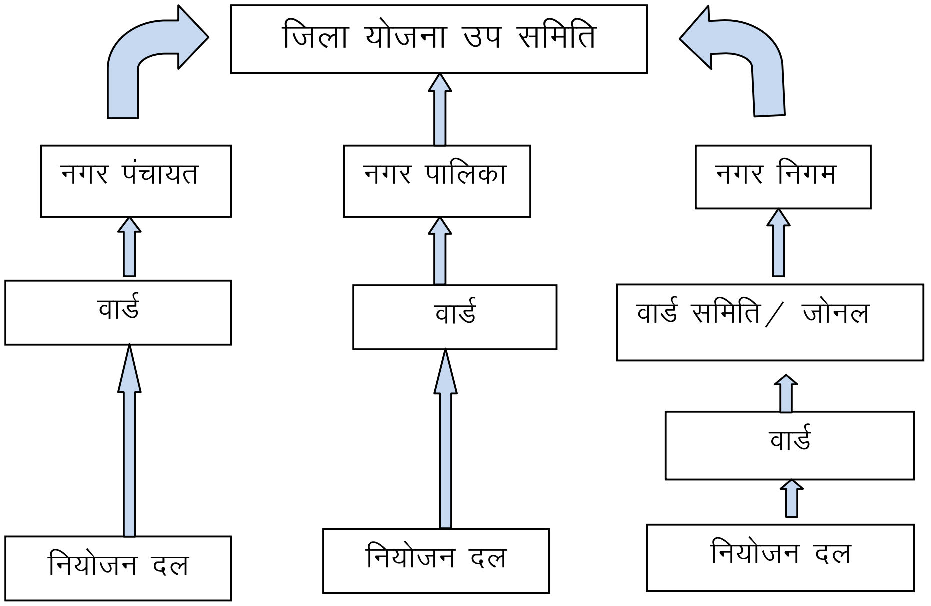
जिला योजना उप समिति
नगर पंचायत
नगर पालिका
नगर निगम
वार्ड
वार्ड
वार्ड समिति/ जोनल
वार्ड
नियोजन दल
नियोजन दल
नियोजन दल

वार्ड की योजनाओं का नगर पालिका/ नगर पंचायत स्तर पर समेकन का रेखा चित्र

नगरीय निकाय में तकनीकी सहायता समूह

शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड पर एक तकनीकी सहायता समूह नियुक्त किया जाता है जो कि वार्ड समिति/जोनल/वार्ड एवं क्षेत्र सभा/मोहल्ला समिति के नियोजन प्रक्रिया में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। वार्ड स्तर पर तकनीकी सहायता समूह ठीक ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायता दल के कार्य करने की पद्धति के अनुसार ही कार्य करेगा।

वार्ड की योजनाओं का नगर पालिका/नगर पंचायत स्तर पर समेकन

वार्ड स्तर से नियोजन के प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद निकाय स्तरीय नियोजन द्वारा नगर स्तरीय कार्य योजना का प्रारूप तैयार करके इसे अपनी परिषद में सुझाव एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। यदि परिषद चाहे तो वह प्राथमिकता क्रम में कुछ बदलाव कर सकती है, क्योंकि उसे इसका अधिकार है। परंतु नगर स्तरीय नियोजन दल इस बात का ध्यान रखे कि इस बदलाव से उपेक्षित वर्गो का हित प्रभावित ना हो।

योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मुख्य कार्यों और लागत को नगर में किसी चौराहे या सार्वजनिक स्थान पर लिख दें इससे लोगों का योजना में विश्वास एवं योगदान बढ़ेगा। योजना का अनुमोदन परिषद से करवा कर इसे जिला स्तरीय शहरी नियोजन दल के माध्यम से जिला योजना समिति को भेजा जायेगा।

(2) नगर निगम स्तर पर –

नगर निगम के अंतर्गत क्षेत्र सभा/मोहल्ला समिति, वार्ड, वार्ड समिति/जोनल एवं नगर निगम के स्तरों पर नियोजन दल का गठन किया जायेगा। इसकी संरचना इस प्रकार होगी कि सर्वप्रथम क्षेत्र सभा/मोहल्ला समितियों के स्तरों पर नियोजन दल का गठन किया जायेगा।

इसके बाद वार्ड स्तर पर नियोजन दल के गठन के लिए उस वार्ड में बने सभी क्षेत्र सभा/मोहल्ला समिति नियोजन दल में से कुछ सदस्यों को लिया जायेगा। जिससे वार्ड स्तर पर नियोजन करते समय सभी क्षेत्र सभा/मोहल्ला समिति का प्रतिनिधित्व वार्ड स्तर पर नियोजन में हो सके। इस तरह निगम के अन्य स्तरों पर भी नियोजन दल का गठन किया जायेगा।

नगर निगम नियोजन दल की भूमिका को अदा करने के लिए निगम के स्तर पर कम से कम 10 सदस्यों का एक दल रहेगा। इसमें विभाग के अधिकारी एवं ठोस अवशिष्ट प्रबंध, नगरीय क्षेत्र में जल प्रबंध, नियोजन इत्यादि के विषय विशेषज्ञ या स्वयं सेवी संस्था इत्यादि को शामिल किया जायेगा।

इस दल का कार्य नियोजन प्रक्रिया का संचालन करना, निचले स्तरों के आवश्यक मार्गदर्शन प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराना होगा। इस दल का एक कार्य यह भी होगा कि वह नियोजन के लिए नगर निगम का ड्राफ्ट प्लान तैयार करेगा तथा वार्ड समिति/जोनल स्तरों की योजनाओं का समेकन कर नगर निगम की योजना तैयार करेगा। इस कार्य में यह दल

नगर निगम अमले का सहयोग ले सकेगा। वार्ड स्तर के नियोजन दल के कुछ सदस्य इस दल में रह सकते है।

वार्ड समिति/जोनल नियोजन दल

नगर निगम के अंतर्गत प्रत्येक वार्ड समिति/जोनल के स्तरों पर एक नियोजन दल रहेगा, जिसमें कम से कम 7 सदस्य होगे। यह दल संबंधित वार्ड में आने वाले प्रत्येक वार्ड के नागरिक सदस्य, संबंधित विभागों के वार्ड स्तरीय कर्मचारी, स्वैच्छिक संगठन, इत्यादि से मिलकर बनाया जायेगा।

- वार्ड नियोजन दलः वार्ड समिति/जोनल के अंतर्गत प्रत्येक वार्ड के स्तरों पर एक नियोजन दल रहेगा, जिसमें कम से कम 5 सदस्य होंगे। प्रत्येक नियोजन दल में संबंधित वार्ड सदस्य, संबंधित विभागों के वार्ड कर्मचारी, स्वैच्छिक संगठन क्षेत्र सभा/मोहल्ला समिति के सदस्य इत्यादि होगे। इन सदस्यों के चयन के समय यह ध्यान रखा जायेगा कि प्रत्येक क्षेत्र सभा/मोहल्ला समिति स्तर के नियोजन दल का प्रतिनिधित्व आवश्यक रूप से रहे।
- क्षेत्र सभा/मोहल्ला समिति नियोजन दलः वार्ड के अंतर्गत क्षेत्र सभा/मोहल्ला समिति के स्तरों पर गठित नियोजन दल नगर निगम की सबसे निचली नियोजन इकाई रहेगा, इसलिए विकेन्द्रीकृत नियोजन में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस स्तर पर नियोजन दल में कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए जो नागरीकों की सहायता से अपने क्षेत्र/मोहल्ला की योजना तैयार कर सके। इस नियोजन दल का मुख्य कार्य यह होगा कि वह अपने क्षेत्र/मोहल्ले के अधिकांश नागरिकों की सहभागिता को सुनिश्चित करे। इस दल में संबंधित वार्ड सदस्य (पार्षद), संबंधित विभागों के वार्ड स्तरीय कर्मचारी, स्वैच्छिक संगठन, युवा संगठन, वेल्फेयर सोसाईटी इत्यादि के लोगों को रखा जा सकता है।

- योजना विकास एवं परियोजना निर्माण में ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता समूहों का मुख्य योगदान है। जबकि जनपद एवं जिला स्तर पर पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के दृष्टिकोण से जनपद स्तरीय एवं जिला स्तर नियोजन दल का गठन किया जाता है। पंचायत के प्रत्येक स्तर पर नियोजन प्रक्रिया में तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है।

नगर निगमों में नियोजन प्रक्रिया

नगर निगमों में नियोजन का क्रम नगर पंचायतों/नगर पालिकाओं की तुलना में थोड़ा भिन्न होगा। ऐसा इसलिये है क्योंकि नगर निगम अपेक्षाकृत रूप से बहुत बड़े हैं। इनके वार्ड भी लगभग 20 से 30 हजार की जनसंख्या वाले हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश राज्य शासन ने वार्ड स्तर से नीचे मोहल्ला समितियों के गठन करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही बड़े नगरों में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम) के क्रियान्वयन के सिलसिले में लागू किये जाने वाले रिफॉर्म की प्रक्रिया में वार्ड स्तर से नीचे क्षेत्र सभायें गठित करने की अनुशंसा की गयी है। अतः नगर निगमों से सम्बन्धित नियोजन प्रक्रिया में वार्ड स्तर से नीचे की संरचनाओं को उपयोग में लाने की आवश्यकता है।

नगर निगम में नियोजन दल की संरचना

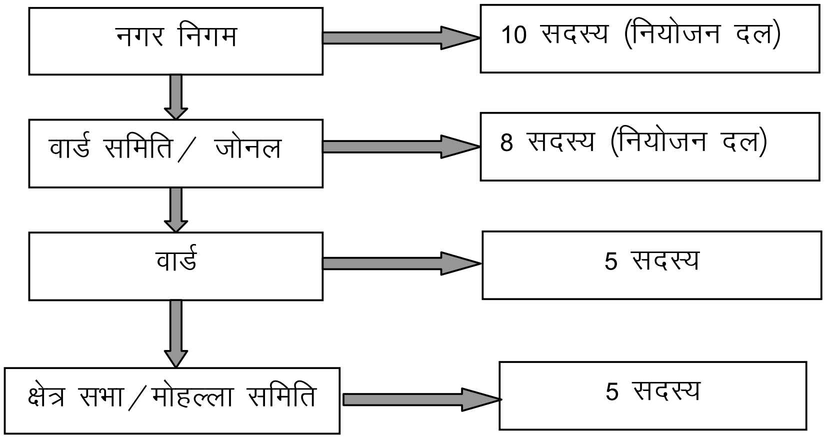
नगर निगम
10 सदस्य (नियोजन दल)
वार्ड समिति/ जोनल
8 सदस्य (नियोजन दल)
वार्ड
5 सदस्य
क्षेत्र सभा/मोहल्ला समिति
5 सदस्य

तकनीकी सहायता समूह के सदस्यों के लिये आवश्यक दक्षतायें

तकनीकी सहायता समूह के सदस्यों के चयन के लिये कुछ दिशा निर्देश पहले से ही जारी किया गया है। सरकार के विभागीय कर्मचारियों को तकनीकी सहायता समूह में प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा गया है। किन्तु अनुभवों के आधार पर तकनीकी सहायता समूह के सदस्यों में कुछ योग्यताओं का होना अनिवार्य है। यदि तकनीकी सहायता समूह के सदस्यों में ऐसी योग्यतायें हों तो समूह अपनी भूमिका निभाने में बहुत हद तक सफल साबित होगा। तकनीकी सहायता समूह के सदस्यों में वांछित दक्षताओं को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है–

1. योजनाओं की अद्यतन जानकारी

तकनीकी सहायता समूह से जुड़ने वाले प्रत्येक सदस्य के लिये यह आवश्यक है कि उसके पास केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग से स्थानीय स्तर पर चलने वाली सभी योजनाओं की अद्यतन जानकारी हो। ऐसा न होने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर बनने वाली योजनाओं के लाभार्थियों का सही चयन नहीं हो पायेगा। इसके साथ ही तकनीकी सहायता समूह के द्वारा योजनाओं का कनवर्जेन्स भी नहीं किया जा सकेगा।

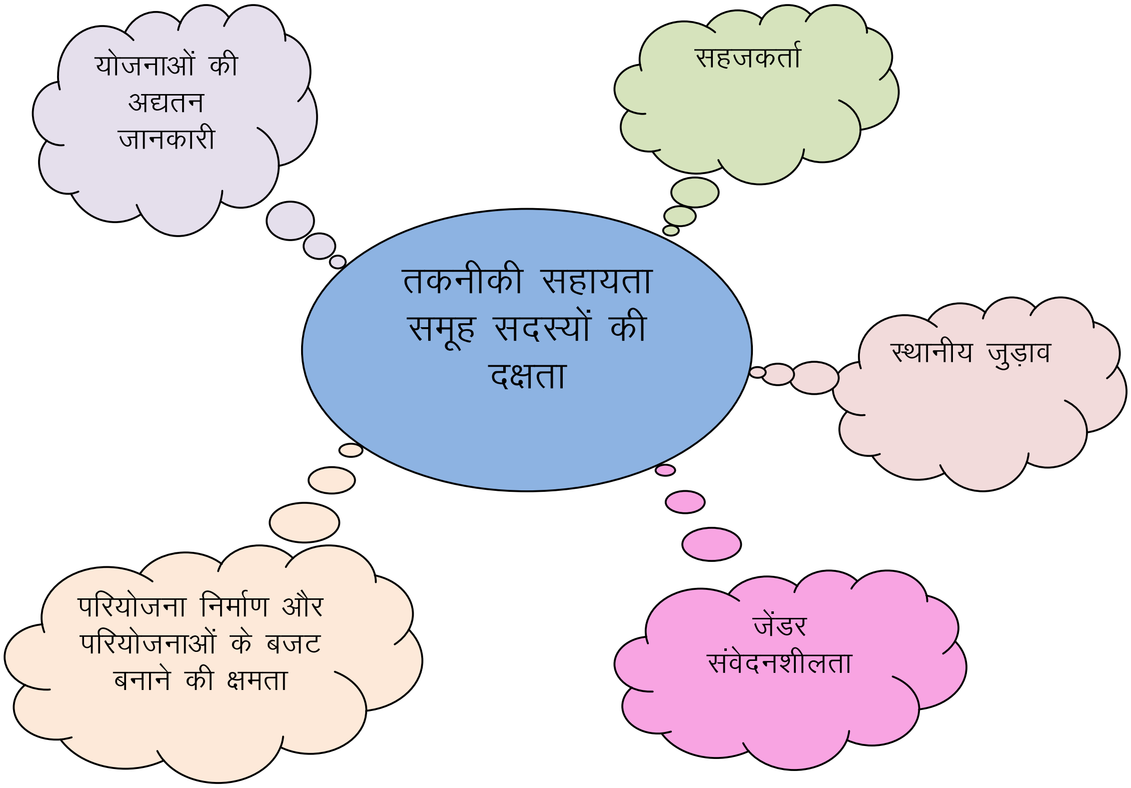
योजनाओं की अद्यतन जानकारी
सहजकर्ता
तकनीकी सहायता समूह सदस्यों की दक्षता
स्थानीय जुड़ाव
परियोजना निर्माण और परियोजनाओं के बजट बनाने की क्षमता
जेंडर संवेदनशीलता

2. परियोजना निर्माण और परियोजनाओं के बजट बनाने की क्षमता

तकनीकी सहायता समूह के सदस्यों में लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप परियोजना निर्माण करने और उस संबंध में बजट बनाने की क्षमता का होना भी अनिवार्य है। स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं के आधार पर परियोजना निर्माण करके उसका बजट बना देने पर न केवल वार्षिक योजना को तैयार करने में मदद मिलेगी बल्कि लोगों को संभावित व्यय की ततकाल जानकारी भी मिल जायेगी। योजना निर्माण की प्रक्रिया में उपर के स्तर पर इन परियोजनाओं की आवश्यकता पड़ने पर विभागीय विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है।

3. सहजकर्ता

तकनीकी सहायता समूह का मुख्य कार्य स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण की प्रक्रिया को सहज बनाना है अतः समूह के सदस्यों में एक अच्छे सहजकर्ता का गुण होना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा न होने की स्थिति में चर्चा के दौरान प्रायः प्रभावशाली लोगों की बातें ही ज्यादा सुनी जायेंगी और योजनाओं में उनका स्वार्थ ज्यादा प्रदर्शित होगा।

4. जेंडर संवेदनशीलता

किसी भी तकनीकी सहायता समूह के सदस्य का जेंडर संवेदनशील होना अति आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि विकास के कामों में महिलाओं की सहभागिता का स्तर अभी भी बहुत उत्साहजनक नहीं है। अतः ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि तकनीकी सहायता समूह के सदस्य महिलाओं के जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिये हर संभव प्रयास करें। वर्तमान आवश्यकताओं के आधार पर तकनीकी सहायता समूह के सदस्यों को जेंडर आधारित बजट बनाना भी आना चाहिये।

5. स्थानीय जुड़ाव

तकनीकी सहायता समूह के सदस्य यदि स्थानीय हों तो बेहतर होगा। स्थानीय होने के कारण उन्हें वहॉ के सामाजिक–आर्थिक संरचना की समझ बेहतर होगी। इसके साथ ही स्थानीय समस्याओं से परिचित होने के कारण उनके द्वारा समस्याओं के समाधान के लिये भी ठोस उपाय सुझाये जा सकेंगे।

विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण के लिए साफ्टवेयर

विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण हेतु मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के द्वारा एक सॉफ्टवेयर (Planning Software) का उपयोग किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर से संबंधित जानकारी http://www.mp.gov.in/spb/ पर उपलब्ध है। इसका ऑन लाईन एप्लीकेशन http://mwh.mpforest.org/depmp पर उपलब्ध है। इस सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है –

(अ) ऑफ लाइन अप्लीकेशन
(ब) ऑन लाइन अप्लीकेशन

(अ) ऑफ लाइन अप्लीकेशन

यह माड्यूल ऑकडों को भरने के लिए बनाया गया है। इस माड्यूल में ऑकडों को भरने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार इंटरनेट के माध्यम से एप्लीकेशन इंस्टाल करने के बाद इसे ऑफ लाइन रुप में भरा जा सकता है।

ऑफ लाइन अप्लीकेशन में राज्य योजना आयोग द्वारा उपलब्ध करवाए गए प्रपत्रों द्वारा एकत्रित जानकारी को भरा जाना चाहिए। एक बार जानकारी भरने के बाद इसे डिजीटल डाटाबेस के रुप में परिवर्तित करने, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स तैयार करने एवं विभिन्न प्रकार के विश्लेषण करने हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है।

ऑफ लाइन अप्लीकेशन का फायदा यह है कि इसमें ऑकडों को भरने का काम अलग–अलग कम्पयूटरों पर किया जा सकता है और बाद में उन्हें एकत्रित करके अपलोड किया जा सकता है। इससे जहॉ एक ओर समय की बचत होती है वहीं दूसरी ओर इंटरनेट और बार–बार बिजली जाने की समस्या से भी निपटा जा सकता है।

(ब) ऑन लाइन अप्लीकेशन

यह माड्यूल इंटरनेट के माध्यम से जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के रिस्पॉन्स भरने के लिए तैयार किया गया है। विभागों द्वारा रिस्पॉन्स भरे गए ऑकडों के आधार पर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ऑन लाइन अप्लीकेशन में ऑकडों के जॉच करने की सुविधा भी दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जनपद स्तर पर प्राप्त होने वाली जानकारी में सुधार करना है। भविष्य में इस साफ्टवेयर को स्वीकृति जारी करने, जी. आई. एस. आधारित रिपोर्ट देखने एवं मानिटरिंग के लिए भी उपयोग में लाया जा सकेगा।

तकनीकी सहायता दलों द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्रों की सूची

क्रम	पंचायत स्तर पर भरे जाने वाले प्रपत्र	प्रपत्र कोड	ली जाने वाली जानकारी
1	आधार भूत जानकारी	प्रपत्र – 1	सामाजिक, आर्थिक एवं जनसंख्या संबंधी जानकारी, ग्राम के आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता (शिक्षा, स्वास्थ्य एवं वित्त पोषण, कृषि एवं सम्बद्ध, मूलभूत अधोसंरचना / अन्य)
2	सेवाओं का स्तर	प्रपत्र – 2	ग्राम में सेवाओं की वर्तमान स्थिति (शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, आजीविका, कृषि, सामाजिक न्याय एवं अधोसंरचना)
3	ग्राम की कार्य योजना	प्रपत्र –3 ए	
4	ग्राम पंचायत की कार्य योजना	प्रपत्र –3 बी	दो गॉव से ज्यादा लोगों को लाभ पहुँवाने वाली योजना को ग्राम पंचायत की योजना में जोड़ा जायेगा।
5	जनपद पंचायत की कार्य योजना	प्रपत्र –3 सी	दो ग्राम पंचायतों से ज्यादा लोगों को लाभ पहुँवाने वाली योजना को जनपद पंचायत की योजना में जोड़ा जायेगा।
6	जिला पंचायत की कार्य योजना	प्रपत्र –3 डी	दो जनपदों से ज्यादा लोगों को लाभ पहुँवाने वाली योजना को जिला पंचायत की योजना में जोड़ा जायेगा।
7	पात्र हितग्राहियों की सूची (ग्राम सभा के द्वारा चयनित)	प्रपत्र – 4	
	नगर पालिका स्तर पर भरे जाने वाले प्रपत्र		
1	नगरीय निकायों में सेवाओं का स्तर	प्रपत्र – 1	वार्ड में सेवाओं की वर्तमान स्थिति (शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, अधोसंरचना, सामाजिक न्याय, उर्जा, इंधन एवं वैकल्पिक ऊर्जा)
2	वार्ड की कार्य योजना	प्रपत्र – 2	

3	निकाय स्तरीय क्षेत्रक वार कार्य योजना का प्रारूप	प्रपत्र – 3	
4	पात्र हिजग्राहियों की सूची (वार्ड सभा द्वारा चयनित)	प्रपत्र – 4	
	जिला योजना से संबंधित प्रपत्र		
1	जिला योजना (विगत वर्ष) वास्तविक व्यय की जानकारी	प्रपत्र–अ–1	
2	जिला योजना (चालू वर्ष) योजना प्रावधान एवं अनुमानित व्यय की जानकारी	प्रपत्र–अ–2	
3	जिला योजना (आगामी वर्ष) प्रस्तावित प्रावधान	प्रपत्र–अ–3	
4	भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ	प्रपत्र–अ–4	
5	विकास खण्ड वार आगामी वर्ष में प्रस्तावित राशि	प्रपत्र–अ–5	
6	कार्य विभाग (जल संसाधन, लोक निर्माण आदि) की योजनाओं के अंतर्गत कार्य वार विवरण	प्रपत्र–ब	
7	जिला योजना वर्ष 2011 – 12 जिला योजना अंर्तगत प्रावधानित एवं व्यय राशि का सारांश	प्रपत्र–स	

समेकित जिला योजना हेतु सामुदायिक अभिप्रेरण (मोबलाइजेशन)

तकनीकी सहायता समूह का समेकित जिला योजना के निर्माण में प्रमुख कार्य समुदाय को शिक्षित कर, एकत्रित एवं संगठित कर एवं जिला योजना निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना साथ ही साथ अपने तकनीकी कौशल का प्रयोग करते हुए, तकनीकी सुझाव प्रदान कर एक विकेन्द्रीकृत समेकित जिला योजना का निर्माण करना हैं।

सामुदायिक अभिप्रेरण का मुख्य उद्देश्य

- समुदाय को उसकी क्षमता के बारे मे जागरुक बनाना।
- समुदाय को उनके संसाधनों के सतत् तरीके से बहतर उपयोग करने के लिए बढावा देना।
- स्वयं सहायता की क्षमता में सुधार लाना।
- स्थानीय सरकार के योगदान को बढावा देना।
- नियोजन प्रक्रिया को संचालित करना।

सामुदायिक अभिप्रेरण जन केन्द्रित विकास प्रक्रिया की एक धुरी है जिसके माध्यम से समुदाय के लोगों को उनके संसाधनों का सदुपयोग कर, अपनी क्षमताओं को विकसित कर सक्रिय रुप से विकास प्रक्रिया में योगदान देने हेतु बढावा दिया जाता हैं। विशेष रूप से सामुदायिक अभिप्रेरण जमीनी स्तर पर से संबंधित होता हैं। क्योंकि तकनीकी सहायता समूह का जमीनी स्तर पर कार्य करने का दायरा प्रत्यक्ष रुप से उस क्षेत्र के समुदाय से जुड़ा होता हैं इसीलिये उन्हें यह जानना अवश्यक हैं कि समेकित जिला योजना को तैयार करने में सामुदायिक अभिप्रेरण क्यों आवश्यक हैं?

जिला नियोजन में सामुदायिक जुड़ाव की आवश्यकता

जिला योजना के निर्माण में समुदाय के जुड़ाव की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है–

- विकेन्द्रीकृत एवं आवश्यकता पर आधारित नियोजन,
- समुदाय की सक्रिय सहभागिता हेतु,
- किसी भी कार्य की सफलता एवं असफलताओं का उत्तर दायित्व लेने में,
- सरकारी हस्तक्षेप को कम करने में, और
- स्वामित्व की भावना बढाने मे।

सामुदायिक जुड़ाव के सिद्धांत

सामुदायिक जुड़ाव से जुड़े कुछ प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं–

1. समुदाय से प्रत्यक्ष बातचीत

सामुदायिक जुड़ाव के द्वारा लोगों तथा विकास के कामों से जुडी संस्थाओं के बीच संवाद स्थापित होता हैं। संवाद स्थापित होने से आत्मविश्वास, तथा दूसरे पर विश्वास की भावना विकसित होती हैं जिससे नियोजन प्रक्रिया को नई गति मिलती हैं।

2. क्षमता विकास

सामुदायिक जुड़ाव का एक प्रमुख उद्देश्य स्थानीय लोगों को उनकी क्षमता का एहसास कराना हैं। समेकित जिला नियोजन के संदर्भ में तकनीकी सहायता समूह के निर्माण का उद्देश्य समूह की मदद से स्थानीय लोगों की क्षमता को विकसित करना है ताकि भविष्य में बगैर किसी अन्य पर निर्भर हुये लोग स्वयं ही जमीनी स्तर पर की योजना बना सकें।

3. पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व

स्थानीय विकास से जुडे समुदाय में प्रत्येक सदस्य को तकनीकी एवं वित्तीय संसाधनों के आदान–प्रदान का ज्ञान एवं जानकारी होने से विकास की प्रक्रिया में उनका जुडाव और बेहतर होगा।

4. सामाजिक जिम्मेदारी

सामुदायिक अभिप्रेरण के अंतर्गत कमजोर एवं पिछडे वर्ग के लोगों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता हैं। ऐसे परिवारों को विशेष रुप से समुदाय में समाहित किया जाने के लिये प्रयास करने की पहल तकनीकी सहायता समूह के माध्यम से की जा सकती है।

5. दीर्घकालिकता

सामुदायिक अभिप्रेरण में स्थानीय जिम्मेदारी, प्रतिबद्धता और योगदान का पुट होने से समुदाय के लोगों में स्वामित्व की भावना का विकास होता हैं। इससे विकास कार्य की दीर्घकालिकता में भी वृद्धि होती है।

6. लिंग संवेदनशीलता

समाज में रहने वाले स्त्री और पुरुष की स्थिति, आवश्यकता एवं क्षमता अलग–अलग होती हैं। स्थानीय स्तर पर विकास की आयोजना करते समय इन बातों का ध्यान रखने से समुदाय के लोगों का जुड़ाव बढ़ता है।

7. मतभेद निदान

प्रायः समुदाय मे विभिन्न कारणों जैसे जात, पात, ऊँच–नीच, के कारण अंतर्कलह कि स्थिति होती हैं। सामुदायिक जुड़ाव की प्रक्रिया के दौरान इन बातों का ध्यान रखने और इन्हें दूर करने के प्रयास करना अत्यन्त आवश्यक हैं।

सामुदायिक अभिप्रेरण की प्रक्रिया में तकनीकी समूह की भूमिका

सामुदायिक अभिप्रेरण की प्रक्रिया में तकनीकी सहायता समूह की भूमिका को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है–

- ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर तकनीकी सहायता समूह एक सामुदायिक अभिप्रेरक के रुप में भी कार्य करेंगे।
- संपर्क बनाना, बातचीत करना एवं समुदाय के योगदान को नियोजन हेतु प्रेरित करना।
- समुदाय को नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु बढावा देना।
- लोगों की आवश्यकताओं एवं रुचि को ध्यान में रखते हुए, उनके आत्मविश्वास और क्षमता विकास करना।

सामुदायिक जुडाव के दौरान क्या करें और क्या न करें

सामुदायिक जुडाव के संदर्भ में तकनीकी सहायता समूह के सदस्यों को यह जानना आवश्यक है कि उनके द्वारा क्या किया जाना चाहिये और क्या नहीं। ऐसा न होने की स्थिति में सामुदायिक जुड़ाव बढ़ने के बजाय समाप्त हो सकता है। इस संबंध में कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं :

- ➢ सलाहकार एवं उपदेशक बनने से बचें। जहॉ तक संभव हो पहले लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दे।
- ➢ ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिसमे लोग आसानी से अपने विचार, आवश्यकतायें व्यक्त कर सके।
- ➢ अपनी सलाह एवं सुझाव लोगों पर न थोपे, बल्कि संयुक्त रुप से एक नया तरीका विकसित करें।

व्यक्तिगत संदर्भ में सामुदायिक अभिप्रेरण की प्रक्रिया

व्यक्तिगत संदर्भ में सामुदायिक अभिप्रेरण की प्रक्रिया विभिन्न चरणों से होकर गुजरती हैं। ये चरण व्यक्तिगत स्तर पर शुरु होता हैं और धीरे धीरे संपूर्ण समुदाय इस चक्र में सम्मिलित हो जाता है।

व्यक्तिगत परिप्रेक्ष में समुदायिक अभिप्रेरण के मुख्य घटक

समेकित जिला नियोजन की प्रक्रिया में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए समुदायिक जुड़ाव के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं–

अ) जागरुकता बढाना

जगरुकता फैलाना सामुदायिक अभिप्रेरण का एक मुख्य आधार हैं। समुदाय के साथ जुड़ कर काम करने में होने वाले अनुभव पर आधारित ज्ञान को समुदाय में बॉटना चाहिए। समुदाय मे जागरुकता पैदा करने के कई तरीके है, जैसे–

- समुदाय के साथ बातचीत
- नुक्कड़ नाटक, कठपुतली जैसे दिखाये जा सकने वाले माध्यमों से
- पठन सामग्री (पोस्टर, पैंम्पलेटस, इत्यादि) के वितरण से
- दीवार लेखन
- लाउड स्पीकर से प्रचार–प्रसार
- रेडियो और आकाशवाणी के माध्यम से

ब) रुचि स्तर का बढना

जागरुकता पैदा करने के बाद, इस स्तर पर लोग एक दूसरे से जुड़ कर बात कर कुछ नया जानने के लिये उत्सुक होते हैं।

स) सूचना का प्रसार

समस्या में रुचि होने से व्यक्तिगत स्तर पर अधिक जानकारी लेने की इच्छा होती हैं। उदाहरण के लिये यदि तकनीकी सहायता समूह इस बात के बारे मे जागरुक हो कि परस्पर सहभागिता से नियोजन प्रक्रिया को आगे बढाना, समेकित जिला योजना के निर्माण का एक बेहतर माध्यम है तो ये सदस्य समुदाय से अधिक से अधिक जानकारी लेने का प्रयास करेंगे।

द) परीक्षण (टेस्टिंग)

टेस्टिंग, सूचनाओं के एकत्रीकरण के बाद की अवस्था हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने का अवसर मिलता है। साथ ही साथ वह अपनी ऐसी कमियों के बारे में भी जान पाता है, जिसके बारे में वह अनभिज्ञ हो।

ई) ग्रहण करना

एक बार व्यक्तिगत स्तर पर सूचना का परीक्षण करने के बाद उसे नई सोच एवं जागरुकता के द्वारा अपनाया जा सकता है। तकनीकी सहायता समूह नई सोच एवं जागरूकता के साथ सामुदायिक अभिप्रेरण की प्रक्रिया को संचालित करेंगे।

समेकित जिला नियोजन प्रक्रिया के संबंध में सामुदायिक अभिप्रेरण की तकनीक

समेकित जिला नियोजन प्रक्रिया के अंर्तगत किये जाने वाले समुदायिक अभिप्रेरण तकनीकी सहायता समूहों का माध्यम से निम्न तकनीकों से किया जा सकते है।

- वातावरण का निर्माण करना– जागरुकता पैदा करना (कार्यशाला, रैली, नुक्कड नाटक और आई.ई.सी. सामग्री का वितरण)
- समूह चर्चा
- जमीनी स्तर पर संसाधन मानचित्रण

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन प्रक्रिया

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन सहभागी नियोजन की पद्धति को बढ़ाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। सूक्ष्म स्तरीय नियोजन में लोगों के साथ मिलकर स्थानीय स्तर की विभिन्न समस्याओं को पहचानने और उनको प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिये योजना बनाने पर जोर दिया जाता है।

कई बार दो तीन विषय आपस में एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि एक समस्या को हल करने के लिये किस पहलू पर ज्यादा ध्यान दिया जाय, इसका निर्णय करना कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में भी सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की पद्धति बहुत कारगर साबित होती है।

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है–

1. ग्राम सभा स्तर पर विज़न निर्माण

सर्वप्रथम तकनीकी सहायता समूह, ग्राम सभा की बैठक में जिले के विज़न की चर्चा करेंगे ताकि नियोजन प्रकिया के दौरान ग्राम स्तर पर बनाये जा रहे विज़न से लेकर जिले स्तर के विज़न में एकरुपता रहे अन्यथा नियोजन प्रक्रिया में भटकाव की स्थिति को नही रोका जा सकता।

2. ग्राम पंचायत के बजट एवं योजनाओं का ज्ञान

तकनीकी सहायता समूहों को ग्राम पंचायत के लिये विभिन्न योजनाओं से प्राप्त अनुमानित बजट (पिछले वर्ष के बजट से लगभग 10 प्रतिशत अधिक) एवं योजनाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। यह नियोजन प्रक्रिया के दौरान लोगों द्वारा चुने गये कार्यों को एक योजना का प्रारुप देने में मददगार साबित होगा।

3. ग्राम स्तर पर लोगों की सहभागिता सुनिष्चित करना

तकनीकी सहायता समूह ग्राम नियोजन दल के साथ मिलकर नियोजन प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। ग्राम सभा की बैठकें इसका एक उपयुक्त साधन हैं। इसके अतिरिक्त छोटे–छोटे समूहों में भी लोगों से इस प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया जा सकता हैं।

4. समस्याओं एवं मुद्दों की पहचान

ग्राम सभा की बैठक में जिले के विज़न की चर्चा के उपरांत, ग्राम सभा के सदस्यों को अपनी समस्याओं व मुद्दों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। तकनीकी सहायता समूहों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को चर्चा में समान अवसर प्रदान किया जाये।

5. समस्याओं का प्राथमिकीकरण एवं उनके संभावित संसाधनो की पहचान

तकनीकी सहायता दल ग्राम स्तर पर अलग–अलग समूहों जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, महिलाओं एवं बच्चों, विकलांग एवं निराश्रित, सामान्य इत्यादि से अलग से चर्चा करेगा। इस प्रक्रिया के दौरान नियोजन हेतु, अलग–अलग सेक्टर जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, आजीविका, अधोसंरचना प्रावधान, ऊर्जा, ईंधन तथा वैकल्पिक अधिकार संरक्षण इत्यादि पर चर्चा की जा सकती है।

तकनीकी सहायता समूह प्रत्येक समूह के साथ चर्चा कर सेक्टर वार समस्याओं का आंकलन करेगा। इस दौरान समूहों द्वारा ध्यान देने योग्य बातें निम्नलिखित हैं–

- नियोजन प्रक्रिया ग्राम विकास समिति के साथ मिलकर संचालित करें।
- सार्वजनिक स्थान पर, अलग–अलग स्थान पर सभी समूहों के साथ चर्चा कराना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक वर्ग से सेक्टर वार समस्याओं का ब्यौरा लें।
- समस्याओं का प्राथमिकीकरण करे साथ ही समाधान हेतु विकल्पों की पहचान करें।

तकनीकी सहायता दल, ग्राम विकास समिति के साथ मिलकर, सेक्टर वार प्राथमिक समस्याओं की सूची बना लें और यह तय करे की इस समस्या का संभावित हल क्या हो सकता है। इस प्रकार संभावित हल को भी तीन अलग–अलग संसाधनों में बांट ले। जैसे मानव संसाधन, जन सेवी सुविधायें एवं भौतिक संसाधन। इसे उदाहरण के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र के निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है–

स्वास्थ्य क्षेत्र (सेक्टर में)

1. सभी अलग–अलग समूहों द्वारा बताई गयी प्रमुख समस्या है – प्राथमिक सेवा केन्द्रों की कमी। क्यूंकि यह निर्माण कार्य से संवंधित है तो इसका संभावित हल भौतिक संसाधन के माध्यम से निकाला जा सकता है।

2. दूसरी प्रमुख समस्या इमरजेंसी के दौरान आस्पताल जाने में आवागमन की समस्या है तो इसका संभावित हल जन सेवी सुविधाओं (एम्बुलेंस) से निकल सकता हैं।
3. यदि सभी समूह के सदस्य द्वारा बतायी गयी तीसरी प्रमुख समस्या स्टाफ की कमी है तो इसका समाधान, मानव संसाधन की कमी को पूरा कर निकाला जा सकता है।

स्थानीय स्तर पर प्रत्येक योजना निर्माण हेतु संसाधन की उपलब्धता इंगित करने के लिये चेक लिस्ट

क्र.सं.	घटक		हाँ / नहीं	टिप्पणी
1	क्या राज्य सरकार ने स्थानीय सरकारों को सभी विकासीय विषयों के अंर्तगत धनराशि हस्तांन्तरित करने के लिये राज्य बजट हेतु अलग से प्रावधान किया है?			
2	राज्य सरकार के ऐसे डिपार्टमेंट जिनकी धनराशि (फंड) स्थानीय सरकारों के सेक्टर विंगों के द्वारा संचालित होते है, की संख्या के बारे में इंगित किया जाना चाहिये।			
3	राज्य योजना ने स्थानीय सरकारों के लिये कोई फार्मूला निर्धारित किया है या नहीं या फिर पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के द्वारा दिये गयें संसाधनों के बारे में जानकारी दी गयी हैं ?			
	अ	स्थानीय सरकारों के विभिन्न स्तर पर		
	ब	प्रत्येक स्थानीय सरकार पर		
4	क्या राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिये संसाधनों को इंगित किया है			

स्रोतः समेकित जिला नियोजन मैनुअल, योजना आयोग, भारत सरकार, 2008।

योजना विकास एवं परियोजना निरुपण

योजना विकास एवं परियोजना निरुपण विकेन्द्रीकृत समेकित जिला योजना का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। जब तक कोई भी मॉग व जरुरत एक परियोजना का आकार नहीं ले लेती तब तक इसका औचित्य समझाने एवं आर्थिक सहायता ढूॅढने मे कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं।

तकनीकी सहायता समूह, स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर योजना के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसीलिये इसके प्रत्येक चरण को सुनियोजित तरीके से डिजाइन करने के पश्चात ही एक योजना का विकास किया जा सकता है। इन सुनियोजित चरणों में आंकडे एकत्र करना, समस्याओं की पहचान करना, प्राथमिकता निर्धारित करना, प्राथमिकतायें तय कर उपलब्ध बजट के अनुरुप नियोजन करना, क्रियान्वयन की प्रक्रिया को परिभाषित करना एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर योजना का क्रियान्वयन करने हेतु अनुश्रवण के लिये लक्ष्य निर्धारित करना शामिल हैं।

स्थानीय सरकारों के सशक्त न होने के कारण उनका विभिन्न विभागों से समन्वयन बहुत कमजोर स्तर का है। ऐसे में एक समेकित जिला योजना के निर्माण के लिये नियोजन प्रक्रिया में तकनीकी सहायता समूहों का हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर पर तकनीकी सहायता समूहों के माध्यम से योजना विकास एवं परियोजना निरुपण की प्रक्रिया की शुरुआत की जानी चाहिये।

ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायता समूह कार्य करेगा। इसका एक प्रमुख कार्य योजना विकास एवं परियोजना निर्माण करने में सहायता प्रदान करना होगा। योजना विकास एवं परियोजना के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं –

1. अनुकूल वातावरण का निर्माण करना

तकनीकी सहायता समूह के द्वारा वातावरण निर्माण के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक करने के बाद ग्राम पंचायत/ स्थानीय नगरीय निकायों के साथ चर्चा करना चाहिये। योजना निर्माण का कार्य आरम्भ करने से पहले तकनीकी सहायता समूह के सदस्यों को विभिन्न हितभागियों के साथ बैठक कर लेना बेहतर होगा। इसके लिये योजना निर्माण के आरम्भ में ही लाइन विभागों एवं जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों साथ मीटिंग कर लेनी चाहिये। इस मीटिंग का उद्देश्य न केवल योजना निर्माण बल्कि योजना के क्रियान्वयन में भी जिला प्रशासन एवं लाइन विभागों के अधिकारियों के सहयोग को सुनिश्चित करना हैं।

सभी क्रियाओं को एक निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित करना

↑

योजनाओं को वार्षिक योजना के रुप में समेकित करना

↑

बजट की तैयारी करना

↑

योजना का विकास करना

↑

संसाधनों की पहचान करना

↑

इनविज़निंग/ प्राथमिकतायें तय करना

↑

सूचनाओं एवं ऑकडों का एकत्रीकरण

↑

अनुकूल वातावरण का निर्माण करना

योजना विकास एवं परियोजना निरूपण के प्रमुख चरण का रेखा चित्र

इसी प्रकार स्थानीय स्तर पर प्रत्येक हितधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों के बारे पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जानी चाहिये। साथ ही स्थानीय स्वशासन की ईकाई को अपने क्षेत्र के लिये योजना बनाने का एक संकल्प लेने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये। इसी दौरान वार्ड सभा/ग्राम सभा एवं स्थाई समितियों के साथ मीटिंग कर जिला योजना निर्माण में उनके सहयोग को भी आशवस्त करना चाहिये।

2. सूचना एवं ऑकड़ों का एकत्रीकरण

इस कार्य के दौरान स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों के प्रतिनिधियों, स्थाई समिति के सदस्यों और समुदाय के लोगों के साथ चर्चा करके नियोजन के लिये आवश्यक सूचनायें एवं ऑकड़े एकत्र किये जाने चाहिये।

3. विज़न निर्माण

ग्राम स्तर पर की जाने वाली नियोजन प्रक्रिया प्रत्यक्ष रुप से जिले के लिये बनाये गये विज़न पर निर्भर है जो कि जिला योजना समिति द्वारा अपने जिले के विकास हेतु बनाया गया है। तकनीकी सहायता समूह के सदस्यों के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें अपने जिले के विज़न की जानकारी हो। उन्हें इस का ज्ञान होना चाहिये कि जिले का विज़न जिले की किन मुख्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुये बनाया गया है।

4. संसाधन की पहचान एवं निर्धारण

किसी आवश्यकता को पूर्ण करने और उससे संबंधित योजना निर्माण करने के लिये आर्थिक, तकनीकी, मानव, एवं भौतिक सामग्री जैसे संसाधनों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिये, यदि सड़क निर्माण किसी क्षेत्र विशेष की प्राथमिकता है तो इस कार्य को सफलता पूर्वक क्रियान्वित करने के लिये सभी प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। संसाधनों की पहचान को और स्प्ष्ट रूप से करने के लिये उसे निम्नलिखित सारणी के आधार पर लिखा जा सकता है –

योजना निर्माण संबंधी संसाधनों की पहचान के लिये सारणी

क्र. सं.	योजना / क्रियाकलाप	ससांधनों की आवश्यकता				अनुमानित स्थानीय योगदान			अन्य उपाय
		आर्थिक	तकनीकी	मानव	अन्य	आर्थिक	तकनीकी	मानव	
1									
2									
3									
4									

5. योजना का विकास करना

तकनीकी सहायता समूह इसी प्रकार से अन्य योजनाओं के उपर आने वाले व्यय से संबंधित सारणियों का निर्माण करने में मदद कर सकता है। वर्ष भर में किये जाने कार्यों से संबंधित सारणियों के निर्माण हो जाने के बाद तकनीकी सहायता समूह उन कार्यों को एक अन्य सूची में स्थानान्तरित कर संबंधित क्षेत्र की वार्षिक योजना को अन्तिम स्वरूप दिया जा सकता है।

योजना – बड़ पुरा गॉव के बालिका प्राथमिक विद्यालय से लगे बागेश्वरी नाले पर 30 मीटर लम्बाई, 3 मीटर चौड़ाई और 15 सेंटी मीटर ऊँचाई वाली पुलिया का निर्माण।

6. वित्तीय बजट की तैयारी करना

किसी परियोजना को तैयार करने में उसका बजट बनाना और कार्य के लिये संसाधनों को निश्चित कर समय सीमा के भीतर सभी संसाधनों का प्रयोग कर योजना को पूरा करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। उदाहरण के रूप में लिये गये उपरोक्त पुलिया निर्माण से संबंधित एक अनुमानित लागत को निम्न सारणी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है–

पुलिया निर्माण में लगने वाली सामग्री का विवरण एवं संभावित लागत

क्रम	सामग्री	ईकाई लागत	संख्या	धनराषि (रू.)
1	सीमेंट बोरी	1000	10	10000
2	गिट्टी ट्रैक्टर	5000	0.5	2500
3	बालू ट्रैक्टर	3000	1	3000
4	पानी का टैंकर	2000	1	2000
5	मिस्त्री (दिन)	400	5	2000
6	श्रमिक (दिन)	250	20	5000
7	अन्य सामग्री / सेंटरिंग कार्य	5000	1	5000
कुल लागत				29500

7. योजनाओं को वार्षिक योजना के रुप में समेकित करना

योजनाओं के निर्माण और उनसे संबंधित वित्तीय संसाधनों की जानकारी हो जाने के बाद उन्हें समेकित कर वार्षिक योजना का स्वरूप दिया जाना चाहिये।

स्थानीय निकाय की वार्षिक योजना वर्ष .... की कार्य वार सूची

क्रम	योजना	ग्राम	स्थान	अनुमानित लागत	विभाग से प्राप्त धनराषि	अन्य संभावित स्त्रोत
1	2	3	4	5	6	7

8. वार्षिक योजनाओं की सभी क्रियाओं को एक निर्धारित समय में पूरा करना

स्थानीय स्तर पर वार्षिक योजना के निर्माण के समय ही यदि उनको पूरा करने के क्रम और उससे जुड़े लोगों/समितियों का निर्धारण हो जाय तो कार्य को निर्धारित समय अवधि में पूरा करके लोगों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाया जा सकता है।

योजना	महीना											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
योजना–1												
योजना–2												
योजना–3												

योजनाओं का समेकन

सूक्ष्म स्तर पर योजनाओं का निर्माण हो जाने के बाद जिला योजना बनाने के अगले चरण में उनका समेकन उपरी स्तरों क्रमशः जनपद पंचायत और जिला पंचायत पर किया जायेगा। जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों की योजना का समेकन जनपद पंचायत करेगी। इस कार्य में जनपद पंचायत को तकनीकी सहायता जनपद स्तरीय नियोजन दल करेगा। जनपद पंचायत स्तर पर योजना स्तरीय समेकन हेतु जनपद नियोजन दल यह ध्यान रखेगा कि जनपद पंचायतों के द्वारा ऐसी योजनाओं को जोड़ा जाय जिनका लाभ दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को हो। इसी प्रकार जिला पंचायत स्तर पर जिला पंचायत स्तरीय नियोजन दल को यह ध्यान रखना चाहिये कि जनपद पंचायतों से प्राप्त योजनाओं में ऐसी योजनाओं को जोड़ा जाय जिनका लाभ दो या दो से अधिक जनपद पंचायतों को हो।

जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर योजना स्तरीय समेकन हेतु जनपद एवं जिला स्तरीय नियोजन दल (जनपद स्तरीय तकनीकी सहायता दल एवं जिला स्तरीय तकनीकी सहायता दल) को निम्न बातों को ध्यान में रखना होता है।

जनपद पंचायत स्तर पर सूक्ष्म स्तरीय ग्राम पंचायत योजना को कार्यान्वयन योजना के रुप में समेकित किया जा सकता है अर्थात ग्राम पंचायत से प्राप्त योजनाओं को ग्राम पंचायतों का नियोजन जनपद स्तर पर आने पर उसका समेकन जनपद पंचायत जनपद स्तरीय नियोजन दल के सहयोग से पूर्ण करेगी। ग्राम पंचायतों से नियोजनों को उनकी गतिविधियों के स्वरूप के आधार पर तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं–

1. ऐसी गतिविधियां जिनके लिए तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता नही है तथा वे पंचायत स्तर के संसाधनों से क्रियान्वित हो सकती हैं।
2. ऐसी गतिविधियां जिनके लिए तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जनपद पंचायत स्तर पर मिल जाती है, तथा उन गतिविधियों का क्रियान्वयन जनपद स्तर के संसाधनों से होगा।

3. ऐसी गतिविधियां जिनके लिए तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जिला पंचायत/जिला कलेक्ट्रेट के स्तर पर मिलती है, तथा उन गतिविधियों का क्रियान्वयन भी जिला पंचायत/जिला कलेक्ट्रेट या अन्य विभागों के संसाधनों के द्वारा होता है।

अब जो गतिविधियां श्रेणी 1 के अंतर्गत आती हैं (जिनमें तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता नही है) उन गतिविधियों को संबधित क्षेत्रकों के आधार पर समेकित किया जायेगा। परंतु इसके साथ यह ध्यान में रखा जायेगा कि जो गतिविधि ग्राम पंचायतो से आयी है वे वास्तव में कितनी व्यावहारिक हैं, उसे करने के लिए जिस कुशलता एवं काम करने वालों की आवश्यकता है वह पंचायत स्तर पर उपलब्ध है या नहीं। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर जनपद पंचायतें इनका समेकन करेंगी।

इसी प्रकार जो गतिविधियां श्रेणी 2 एवं 3 के अंतर्गत आती है, उन गतिविधियों को तकनीकी एवं वित्तीय ढांचा पहनाकर उसकी प्रशासकीय स्वीकृति का कार्य जनपद पंचायत अपने नियोजन दल के सहयोग से गतिविधि की आवश्यकता, लाभार्थियों की संख्या, उपयोगिता, कार्यस्थल आदि मुद्दों को ध्यान में रखकर जनपद पंचायतें समेकन पूर्ण करेगी।

जनपद स्तरीय नियोजन दल (जनपद स्तरीय तकनीकी सहायता दल) में चूंकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य विशेषज्ञ लोग शामिल होते हैं, जो कि तकनीकी रुप से अधिक सुदृढ होते हैं, वे ग्राम पंचायत की योजना में नयी तकनीक तथा अन्य बजट स्त्रोतों जैसे – सामुदायिक योगदान एवं कॉरपोरेट के द्वारा अन्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की संभावनायें तलाश कर, उन्हें ग्राम योजना में शामिल कर सकते हैं।

योजनाओं के निर्माण की सतत निगरानी और मूल्यांकन

तकनीकी सहायता दल/ समूह एवं ग्राम विकास समिति द्वारा योजना का प्रारुप तैयार किया जायेगा। योजना निर्माण प्रक्रिया में तकनीकी सहायता समूह को निम्न प्रमुख विंदुओं पर ध्यान देना होगा–

- स्थान एवं समयावधि
- गतिविधि की लागत
- संभावित लाभार्थी वर्ग
- संभावित संसाधनों का ऑकलन
- संवंधित समस्या के अनुसार
- बजट स्त्रोत का ऑकलन (विभिन्न योजनाओं के अंर्तगत)
- अनुमानित लागत का ऑकलन

उपयुक्त सारे बिन्दुओं को ध्यान में रखकर योजना निर्माण का प्रारुप तैयार किया जा सकता हैं।

योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी की तकनीक एवं साधन

प्रायः यह देखा जाता है कि एक अच्छी योजना बन जाने के बाद भी उनका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। ऐसा इसलिये होता है क्योंकि योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान जो लोग उनमें जुड़े थे उन्हें योजनाओं के उद्देश्यों की सही जानकारी नहीं थी। ऐसे में उन्होंने योजना का क्रियान्वयन केवल अपनी सुविधा के अनुसार किया। इसी प्रकार कभी–कभी योजना को लागू करने के दौरान प्रभावशाली लोगों और स्वयं के स्वार्थ के कारण भी योजनाओं का क्रियान्वन सही ढ़ंग से नहीं हो पाता है।

योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा हेतु योजना से जुड़े सभी ऑकड़ों का विश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं। जिला योजना समिति को चाहिए कि जिले से संबंधित महत्वपूण ऑकड़ों जैसे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों से संबंधित ऑकड़ों, अधोसंरचना से संबंधित ऑकड़ों इत्यादि का डाटाबेस जो जिले के विज़न निर्माण की प्रक्रिया के दौरान तैयार किया गया था और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उनकी समय–समय पर समीक्षा की जाए।

संख्यात्मक ऑकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कार्ययोजना की भौतिक प्रगति का विश्लेषण किया जा सकता है कि किन्तु कार्ययोजना को परिणामोन्मुखी बनाने हेतु सहभागितापूर्ण

मूल्यांकन का स्थान महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जा सकता हैं।

- स्वमेव प्रकटन (Proactive Disclosure)
- समुदाय स्कोर कार्ड (Community Score Card)
- सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)

स्वमेव प्रकटन

किसी भी काम के सही मूल्यांकन का सबसे सहज तरीका यह है कि काम के बारे में लोगों को ज्यादा से जानकारी स्वयं आगे बढ़कर दी जाय। विकास के संबंध में यदि किसी काम को किया जा रहा है तो उस काम से संबंधित योजना का नाम, काम की कुल लागत, काम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी (जैसे भवन निर्माण के काम के लिये कमरे की लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई, दीवार की मोटाई इत्यादि) काम में उपयोग में लाये जाने वाली सामग्री, काम के पूरा होने की अवधि, जैसी जानकारियों को किसी सूचना बोर्ड पर लगा कर स्वयं ही दिया जा सकता है। सूचना का अधिकार कानून लागू होने के बाद तो ऐसा करना जरूरी भी है।

समुदाय स्कोर कार्ड

समुदाय स्कोर कार्ड सेवाओं पर निगरानी रखने और कामों के मूल्यांकन का सर्वेक्षण आधारित एक सहभागी तरीका है। इस विधि से किसी काम या सेवा से मिलने वाले लाभ और उससे लोगों की संतुष्टि का स्तर नापने में मदद मिलती है। यदि लोगों को किसी सेवा से संतुष्टि नहीं मिल रही है तो ऐसे में सेवा के स्तर में सुधार लाने वाले दुसरे प्रयासों के बारे में विचार किया जाता है।

सामाजिक अंकेक्षण

सामाजिक अंकेक्षण भी विकास के कामों पर निगरानी रखने और किये जा रहे कामों के मूल्यांकन करने की एक अच्छी पद्धति है। इसमें विकास की योजना बनाने से लेकर उसको पूरा करने के विभिन्न चरणों के बारे में जानकारी ली जाती है। सामाजिक अंकेक्षण स्थानीय स्तर पर रहने वाले लोगों के द्वारा ही की जाने वाली प्रक्रिया है। इसके माध्यम से विकास के लिये किये जाने वाले सभी कामों में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।

योजना निर्माण में सामाजिक समावेश

सामाजिक समावेश की प्रक्रिया सामाजिक संबंधों और संस्थाओं में सन्निहित होती है। ऐसी प्रक्रिया जिससे समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक रुप से वहिष्कृत करने की बजाय सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया में परस्पर भागीदार बनाया जाये। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों विशेष कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को जरुरत की बहुत सी चीजों से बेदखल किया जाता है। इस सूची में आजीविका; सुरक्षा, स्थायी रोजगार; आय; संपत्ति, ऋण या जमीन; आवास; न्यूनतम या प्रचलित उपभोग स्तर; शिक्षा, कौशल व सांस्कृतिक पूंजी; कल्याणकारी राज्य; नागरिकता व वैधानिक समानता; लोकतांत्रिक सहभागिता; जनहित; राष्ट्र या प्रभुत्वशाली नस्ल; परिवार और सामाजिकता; मानवता, सम्मान, इत्यादि शामिल हैं।[2]

समाजिक समावेष – कुछ पहलू

- समाजिक समावेश की प्रक्रिया दलित समुदाय, कमजोर एवं पिछडे वर्गों के लोगों की क्षमतावर्द्धन करती हैं तथा विकास की प्रक्रिया में उनके लिये पर्याप्त अवसर प्रदान करती हैं।
- सामाजिक समावेश की प्रक्रिया सामाजिक एकता को बढ़ावा देती हैं, इसके फलस्वरुप समाज के विभिन्न समुदाय के स्तर पर एकजुट होता हैं।
- मानव विकास की प्रक्रिया के दैरान समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक शैक्षिक और धार्मिक क्षेत्र में भाग लेने का समान अवसर प्राप्त होता हैं।
- सामाजिक समावेश के अंर्तगत, समाज में वहिष्कृत समुदाय की पहचान कर विकास की प्रक्रियाओं में उनका समावेश और भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। जिससे उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोडा जा सके।

भारतीय समुदाय में सामाजिक बहिष्करण

समाज में कई प्रकार के बहिष्करण वंचन और भेदभाव सामान्य व्यवहार में देखने को मिलते है। इन्हें व्यापकता में समझकर ही सामाजिक परिवर्तन के दिशा में प्रयास किये जा सकते है।

---

[2] सिल्वर (1995), पृष्ठ 60 (सिल्वर, हिलेरी 1995, रीकॉन्सेप्चुएलाइज़िंग सोशल डिसएडवांटेजः थ्री पैराडाइम्स ऑफ सोशल एक्सक्लूज़न : रेटॉरिक, रियेलिटी, रेस्पॉसेज़, गैरी रोजर्स, चार्ल्स गोर तथा जोस फिगेरिडो द्वारा संपादित। जिनेवा : इंटरनैशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर स्टडीज।

- सामाजिक बहिष्करण संसाधनों तक पहुॅच और नियंत्रण और स्वामित्व को नकारने की प्रक्रिया है।
- सामाजिक बहिष्करण शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, जन सुविधाओं तथा बुनियादी सुविधाओं से व्यक्ति को वंचित करता है।
- सामाजिक बहिष्करण मानवीय गरिमा का हनन करता है। सामाजिक बहिष्कार समुदाय/ व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक अवसरों से वंचित करता है।
- अन्ततः सामाजिक बहिष्कार समुदाय/व्यक्ति के संवैधानिक और मानव अधिकार का हनन है।

भारतीय समुदाय में बहिष्कृत वर्ग

भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित लोगों को बहिष्कृत वर्ग में रखा गया है–

- समाजिक समूह– अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक, खासकर इन वर्गों के महिलायें और बच्चें।
- संस्थागत समूह – कृषि मजदूर, बाल श्रमिक, विकलांग, मछुआरों का समुदाय, मैला ढोने वाले इत्यादि।

सामाजिक बहिष्कार को समाप्त/ कम करने के दिशा में सामाजिक समावेश और समता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देकर ही किया जा सकता है। इसमें समुदाय आधारित संगठन और संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वे बहिष्कृत समुदाय की पहचान कर विकास के प्रक्रियाओं में उनके समावेश और भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करें जिससे उन्हें विकास के मुख्य धारा में जोड़ा जा सके और उनके अधिकारों को स्थापित किया जा सके।

समेकित जिला योजना में समाजिक समावेष की प्रक्रिया एवं तकनीकी सहायता समूहों का महत्व

पिछले दो दशकों में भारत में हुए कई परिवर्तनों में अनुसूचित जातियों द्वारा अपने अधिकार का दावा करना सबसे महत्वपूर्ण रहा हैं। शासन द्वारा, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यक वर्गों, एवं अन्य वर्गों के लिये विशेष प्रकार की विभिन्न योजनायें चलाई जा रही हैं। समेकित जिला योजना में ऐसी ही योजनाओं को सम्मिलित कर, सामाजिक समावेश को वढावा दिया जाता हैं।

जिला योजना निर्माण में तकनीकी सहायता समूह सरकार एवं समुदाय के बीच सेतु की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज के दलित एवं कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं एवं बुनियादी जरुरतों को समझकर सरकार की विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों के अनुसार योजना तैयार करने एवं ऐसी योजनाओं को समेकित जिला योजना में सम्मिलित करने में सहायता प्रदान करते हैं।

शासन द्वारा चलाई जा रही, सभी सामान्य एवं विशेष योजनाओं की जानकारी, समाज के वंचित वर्गों के लोगों को उपलब्ध कराई जानी अत्यंन्त आवश्यक हैं ताकि ऐसे वर्गों के लोग अपनी समस्याओं के निवारण हेतु इनसे लाभ उठा सके। परंतु, इसके लिये जरुरी है कि ऐसे वर्ग के लोगों की समस्याओं के वारे में ग्राम सभा/वार्ड सभा में उनसे चर्चा की जाए। साथ ही साथ इन समस्याओं के आधार पर स्थानीय विकास के लिये प्राथमिकतायें तय करने में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता की जाये। ऐसा भी देखने को आता हैं कि मुद्दों की पहचान हो जाने के बाद भी समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की बातों को सही तरीके से न रखे जाने के कारण उन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता हैं और उसे कार्य योजना का स्वरुप नहीं मिल पाता हैं।

ऐसे में यदि तकनीकी सहायता समूह इन वर्गों की अवश्यकता के अनुसार प्रथमिकतायें निर्धारित कर सही तरीके से रखवाने और उन्हें बैठक की कार्यवाही पुस्तिका में शामिल कराकर उन पर ठोस कार्य योजना बनवाने में सहयोग करे तो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का समावेशन योजना निर्माण से उनके क्रियान्वयन तक कराने में निश्चित रुप से प्रभावी होगा।

सामाजिक समावेष की प्रक्रिया में तकनीकी सहायता समूहों की भूमिका :

1. नियोजन प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पहले समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों तक ग्राम सभा/वार्ड सभा की बैठक में सम्मिलित करने हेतु सूचनाओं का प्रसार प्रचार करना।
2. समाज के बहिष्कृत वर्गों को नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित करना।
3. बैठक के दौरान उन्हें अपनी विचार एवं अभिव्यक्ति व्यक्त करने में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना।
4. इन वर्गों द्वारा बतायी गयी समस्याओं और प्राथमिकताओं को महत्व देते हुये इन्हे चिन्हित करना।

सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट)

सोशल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य परियोजनाओं, कानूनों और नीतियों के नियोजन एवं क्रियान्वयन में सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना होता हैं। सोशल ऑडिट निरंतर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अंर्तगत किसी परियोजना के संभावित लाभार्थियों को संबंधित गतिविधि या परियोजना के नियोजन से लेकर कियान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन तक की हर अवस्था में शामिल रखा जाता हैं।

समेकित जिला योजना निर्माण में, सोशल ऑडिट की प्रक्रिया नियोजन के प्रत्येक स्तर पर आश्वस्त की जानी चाहिये। इसके अंर्तगत नियोजन के निम्नलिखित चरणों के दौरान सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में सार्वजनिक निगरानी एवं पुष्टि का समावेश होना चाहिये।

- परियोजना सूची की तैयारी और स्थानों का चयन
- तकनीकी अनुमानों की तैयारी और मंजूरी तथा कार्य आदेश का जारी होने में।
- नियोजन कार्य की जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व
- कार्य का मूल्यांकन
- ग्राम सभा/वार्ड सभा में खुली सभा में परियोजना पर चर्चा।

तकनीकी सहायता समूहों की सोशल ऑडिट में भूमिका

1. जन प्रतिनिधियों में सोशल ऑडिट के प्रति समझ विकसित करना

पंचायत प्रतिनिधियों को प्रजातंत्रीय विकेन्द्रीकरण और शासन के लिये सोशल ऑडिट की प्रक्रिया के बारे मे जानना अत्यंत आवश्यक हैं। जिला योजना से संबंधित कोई भी निर्णय करने से पूर्व एवं बाद में लोगों से सलाह लेना अत्यंत आवश्यक हैं। यही प्रक्रिया उनकी स्वामित्व की भावना बढाने में कारगार साबित होती है। सोशल ऑडिट के माध्यम से लोगों को ऐसे परामर्श देने का अवसर मिलता हैं।

2. भय को समाप्त करना

तकनीकी सहायता समूहों का यह दायित्व बनता है कि वे सभा के माहौल को तनावरहित बनाये एवं दोनो पक्षों में सामन्जस्य स्थापित करें। सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को भ्रष्टाचार को कम करने की प्रकिया के साथ–साथ रचनात्मक तरीके से किसी कार्यक्रम के बारे एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया के रुप में समझना चाहिये।

3. आत्मविष्वास एवं क्षमताओं को बढ़ाना

सोशल ऑडिट की प्रक्रिया से भयभीत होना क्षमता में कमी होने को दर्शाता है। तकनीकी सहायता समूहों को सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को सुचारु रुप से चलाने के लिए जन समुदाय को प्रेरित करना चाहिए।

समेकित जिला योजना में सोशल ऑडिट का महत्व

सोशल ऑडिट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हैं। इसके माध्यम से आम जनता को विकासीय मुद्दों, योजनाओं को समझने, योजना के नियोजन से लेकर क्रियान्वयन तक निगरानी, गुणवत्ता परखने एवं रिर्पोटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सोशल ऑडिट किसी कार्यक्रम या योजना के क्रियान्वयन के प्रति नियोजक एवं कार्यान्वयन कर्ता की जन – जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये जन निगरानी का एक माध्यम है। विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें जमीनी स्तर पर लोगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नियोजन करने का एक पर्याप्त अवसर मिलता है। किसी भी योजना एवं कार्य प्राथमिकताओं के आधार पर चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होती हैं।

ऐसी स्थिति में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया का अनुपालन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। साथ ही तकनीकी सहायता समूहों की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि जिला योजना निर्माण में, सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए निम्न प्रमुख बातों का ध्यान रखना होगाः–

1. क्या प्रस्तावित कार्यों की सूची ग्राम सभा की बैठक में तैयार की गयी है ?
2. क्या तकनीकी आकलन तैयार करने के दौरान जूनियर इंजीनियर ने ग्राम सभा के सभी सदस्यों से सलाह ली गयी है?
3. क्या परियोजनाओं की स्वीकृत सूची में से कामों को तय नियमों के हिसाब से ही चुना गया है ?
4. क्या ग्राम पंचायत के इलाके में पिछले छः माह के दौरान स्वीकृत और लागू किये गये कामों के लिये स्वीकृत राशि और वास्तविक काम का ब्योरा पढ़ कर सुनाया गया था ?
5. क्या योजना में समाज के कमजोर वर्ग (महिलाओं, वच्चों, दलित, अल्प संख्यक विकलांग, इत्यादि) के लिए विशेष योजनाओं को लिया गया है?
6. क्या निगरानी समिति का तय नियमों के हिसाब से गठन किया गया है ?

7. क्या 'कार्य आदेशों' को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से जारी किया गया और क्या उनके बारे में पर्याप्त प्रचार किया है?

सोषल ऑडिट के मुख्य सिद्वांत
सोशल ऑडिट के कुछ सिद्धांतो को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है–

सहभागिता– सभी लााभार्थियों को नियोजन की प्रक्रिया में उनके विचारों को व्यक्त करने एवं चर्चा में शामिल होने का मौका मिलता है। यदि किसी मामले में किसी जरूरत के आधार पर विकल्प पहले से निर्धारित कर लिये जाते है, वहॉ भी प्रभावित व्यक्तियों को पूरी जानकारी देकर सहमति प्रदान करने का अधिकार जरुर दिया जायेगा।

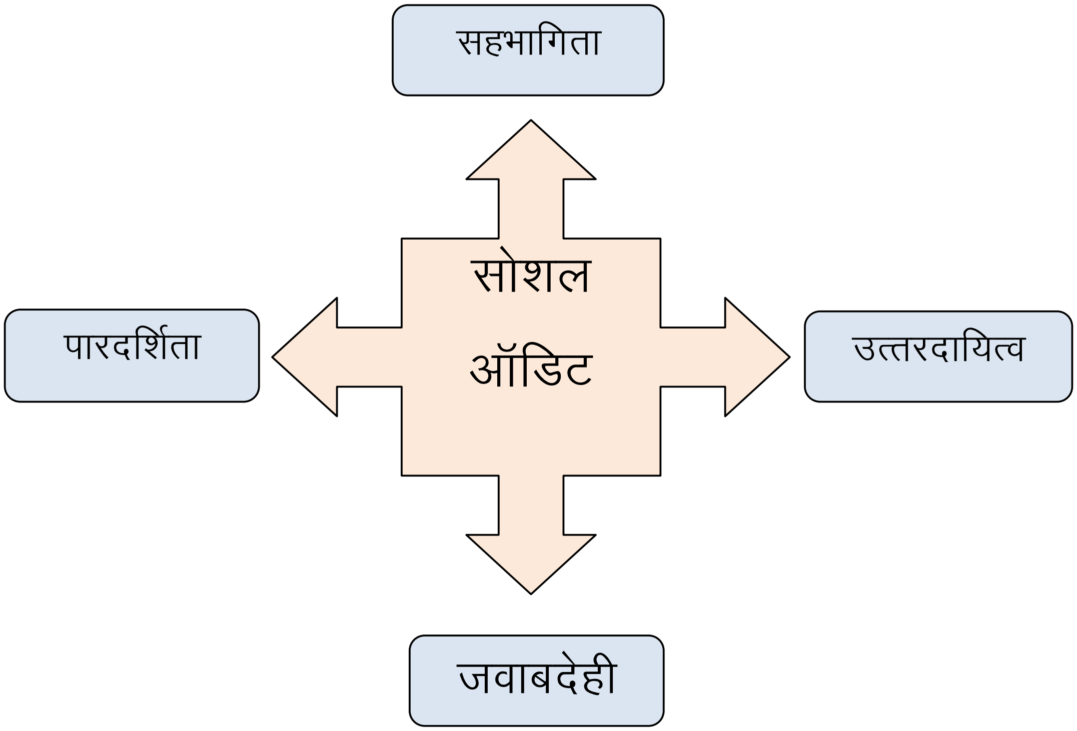

पारदर्शिता– प्रशासन के कामों एवं निर्णय प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जाये। सभी सरकारी आवश्यक सूचनाओं एवं आंकडों को सार्वजनिक रुप से सभी लोगों के लिये उपलब्ध कराया जाना चाहिये। इसके सभी आवश्यक सूचनाओं एवं ऑकडों को ग्राम पंचायत भवन में चिपकाया जा सकता हैं।

उत्तरदायित्व– निर्वाचित प्रतिनिधि एवं सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी होगी कि वह लाभार्थियों की तरफ से किसी भी गतिविधि के बारे में उठाये गये सवालों का जबाब और स्पष्टीकरण देंगे।

जवाबदेही– ऐसे कायदे–कानूनों को लोगों को जानकारी दी जायेगी जिनके जरिये समाजिक ऑडिट किया जायेगा। जॉच–पडताल के निष्कर्षों को अधिकृत स्वीकृति प्रदान करने के बाद उन्हें संबंधित शिकायत के जवाब में की गयी कार्यवाही की जानकारी के साथ लोगों तक पहुॅचाया जायेगा।

ग्राम सभाः सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ओडिट) का फोरम

ग्राम सभा की बैठक का उपयोग सोशल ऑडिट फोरम के रुप में किया जा सकता हैं। नियोजन प्रक्रिया के दौरान ग्राम सभा की बुलायी गायी बैठक में विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन संबंधी सभी सूचनायें जोर–जोर से पढ़कर सुनाई जायेंगी। प्रत्येक लाभार्थी को यह अधिकार होगा कि वह अपने सवालों को अधिकारियों से पूछकर किसी भी बात पर अपना संदेह दूर कर सके।

किसी भी सोशल ऑडिट प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए तीन तरह के मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक हैं।

- बैठक से पहले प्रचार एवं तैयारी
- बैठक का संगठन
- एजेंडा

सोशल ऑडिट की प्रक्रिया के चरण

सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में निम्न चरण होते है%

वातावरण निर्माण

सर्वप्रथम, ग्राम सभा में वातावरण निर्माण करने की आवश्यकता होती है। सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को शुरू करने के लिये ग्राम सभा एक उपयुक्त फोरम है। इसमें सभी वर्गों के लोग, चुने हुये प्रतिनिधि एवं जिला योजना निर्माण में सम्मिलित सभी अधिकारी एक सुनिश्चित स्थान पर एकत्रित होते है।

अधिकांशतः देखा गया है, कि लोगों को ऑडिट की प्रक्रिया का हिस्सा बनने में डर लगता है। इसीलिये इस प्रक्रिया से सही और तनावरहित वातावरण निर्माण करने की आवश्यकता होती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में जिला एवं ब्लॉक स्तरीय सभी अधिकारी शामिल हो सकते है।

समितियों का गठन

वातावरण निर्माण के दौरान, सक्रिय एवं ईमानदार व्यक्तियों को चुना जाता है। ऐसे व्यक्तियों को चुने हुये पंचायत प्रतिनिधियों, एवं तकनीकी सहायता समूहों, स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ सम्मिलित कर एक समिति का गठन किया जाता है, जो सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को संचालित करेगी।

समिति के सदस्यों का क्षमतावर्द्धन

समिति के सदस्यों को शासन की अवधारणा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं विकेन्द्रीकरण के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी दी जायेगी। फिर उन्हें सोशल ऑडिट की प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जायेगा। छोटे स्तर पर प्रशिक्षण के लिये सोशल ऑडिट की प्रक्रिया की वीडियो फिल्म भी समिति के सदस्यों की दिखायी जा सकती है ताकि प्रक्रिया के बारे में उन्हें कोई संदेह न रह जाये, एवं प्रक्रिया के सभी पहलुओं से वे अवगत हो सकें।

आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं जांच पड़ताल

जिला योजना के अंतर्गत योजनाओं के चुनाव के बारे में, हितग्राही के चयन के बारे एवं तकनीकी एवं 'प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों की स्वीकृत के बारे में जानकारियों को एकत्र किया जा सकता है। इसके पश्चात एकत्र की गयी जानकारियों के आधार पर व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम/योजना से जुडे हुए व्यक्तियों से मिलकर ऑकड़ों की पुष्टि की जा सकती हैं। जांच पड़ताल का यह कार्य ग्राम सभा की मीटिंग के 15 दिन पहले किया जा सकता है ताकि मुद्‌दों के बारे में सोचने एवं इसे तार्किक ढ़ंग से पेश करने का मौका मिल सके।

ग्राम सभा को संगठित करना

सोशल ऑडिट की प्रक्रिया के लिये ग्राम सभा को संगठित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर सूचनायें लगायी जा सकती है तथा पारंपरिक विधियों जैसे डुग्गी पिटवा कर सूचना प्रसारित की जा सकती है। सभी ग्राम निवासी विशेषकर, समाज के कमजोर वर्गें के लोगों को मीटिंग की तारीख, स्थान, एवं ऐजेंडा के बारे मे सूचित किया जाना चाहिये।

ग्राम सभा/वार्ड सभा की बैठक

ग्राम सभा की मीटिंग की अध्यक्षता ग्राम पंचायत अध्यक्ष द्वारा की जानी चाहिये। एकत्र की गयी रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त मुख्य निष्कर्ष को पोस्टर पर लिख कर लोगों के सम्मुख रखा जाना चाहिये। सभा में उपस्थित सभी लोग, विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों को प्रश्न पूछने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। इस दौरान अध्यक्ष, अधिकारी एवं कार्यान्वयन एजेंसी सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। इन सभी का यह कर्तव्य है कि ये प्रश्नकर्ता को अपने जवाब से संतुष्ट करें।

फॉलो अप

बैठक की कार्यवाही ब्लॉक, जिला एवं राज्य प्रशासन से बांटी जानी चहिये। इस प्रक्रिया का फॉलो–अप करने के लिए मीडिया एवं एकेडैमिक संस्थाओं को आागे आना चाहिये।

प्रशिक्षण के बाद बनी सीख को जानने के लिये प्रपत्र

नाम .... दिनांक ....

पद नाम .... ब्लॉक .... जिला ....

कृप्या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं।

1. जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से किया गया?
   (अ) 73वें संविधान संशोधन के द्वारा
   (ब) 74वें संविधान संशोधन के द्वारा
   (स) 75वें संविधान संशोधन के द्वारा
   (द) 76वें संविधान संशोधन के द्वारा

2. जिला योजना समिति के गठन के बारे में संविधान की किस धारा में विस्तृत चर्चा की गयी है?
   (अ) धारा 243 छ
   (ब) धारा 243 ब
   (स) धारा 243 य घ
   (द) धारा 243 य ग

3. मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के अनुसार जिला योजना निर्माण के संबंध में तकनीकी सहायता दल
   (अ) गॉवों में नियोजन की प्रक्रियाओं का संचालन करेगा,
   (ब) गॉव की योजना निर्माण पर लोगों की क्षमताओं का निर्माण करेगा,
   (स) गॉव के पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों को योजना निर्माण के काम में जोड़ेगा,
   (द) उपरोक्त सभी काम करेगा,

4. तकनीकी सहायता समूह के सदस्यों में कौन–कौन सी दक्षतायें होनी चाहिये?
   (अ) सामाजिक–आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं की अद्यतन जानकारी,
   (ब) परियोजनाओं के संबंध में बजट बनाने की जानकारी,
   (स) जेंडर संवेदनशीलता,
   (द) उपरोक्त सभी,

5. जिला योजना निर्माण के काम में समुदाय के जुड़ाव की आवश्यकता क्यों जरूरी है?
   (अ) ग्राम सभा का कोरम पूरा करने के लिये,
   (ब) केन्द्र सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिये,
   (स) राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिये,
   (द) स्थानीय आवश्यकता पर आधारित नियोजन के लिये,

6. गॉव के विकास के लिये 'विजन' का निर्माण करना क्यों जरूरी है?
   (अ) 'विजन' बनाकर काम करने से सफलता आसानी से मिलती है,
   (ब) सरकारी योजनाओं में संसाधन पाने के लिये ऐसा करना जरूरी है,
   (स) क्योंकि राज्य सरकार और जिले के स्तर पर भी 'विजन' बनाया जाता है,
   (द) क्योंकि तकनीकी सहायता समूह के सदस्यों में 'विजन' बनाने के संबंध में दक्षता होती है,

7. सूक्ष्म स्तरीय नियोजन
   (अ) सहभागी आधार पर आयोजना करने की एक महत्वपूर्ण पद्धति है,
   (ब) इसके द्वारा समस्याओं और प्राथमिकताओं को तय करने में मदद मिलती है,
   (स) स्थानीय आवश्यकता को ज्यादा प्रभावी ढ़ंग से सामने लाने में मदद करता है,
   (द) उपरोक्त सभी

8. सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया
   (अ) समाज के कुछ लोगों को आगे बढ़ाती है,
   (ब) समाज के पिछड़े और वंचित लोगों की क्षमताओं को बढ़ाने की प्रक्रिया है,
   (स) केवल कुछ लोगों के द्वारा किया जाने वाला एक कार्य है,
   (द) तकनीकी सहायता समूह के गठन की एक विधि है,

9. तकनीकी सहायता समूह के सदस्य सामाजिक अंकेक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं
   (अ) लोगों को इसके बारे में सही जानकारी देकर,
   (ब) जनप्रतिनिधियों को सामाजिक अंकेक्षण को कराने के लिये प्रेरित करके,
   (स) सामातिक अंकेक्षण के संबंध में क्षमता विकास करके,
   (द) उपरोक्त सभी तरीकों से,

10. स्थानीय स्तर पर योजना के निर्माण के दौरान तकनीकी सहायता दल स्थानीय विशेषज्ञों की सलाह

(अ) ले सकता है,

(ब) मानने को बाध्य है,

(स) नहीं ले सकता है,

(द) मानने को बाध्य नहीं है,

अनुलग्नक – 1

सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और सेवाएं

प्रमुख बुनियादी ढांचा सुविधाएं और सेवाएं निम्नलिखित पैरामीटरों पर दर्ज की जानी चाहिए।

सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और सेवाएं

Øe	cfu;knh <kpk	miyC/krk ekud	okLrfod fLFkfr	deh
1	पक्की सड़क	प्रत्येक बस्ती		
2	बस सेवा	प्रत्येक बस्ती		
3	विद्युत कनेक्शन	प्रत्येक बस्ती		
4	नलजल योजना	प्रत्येक बस्ती		
5	सार्वजनिक शौचालय	प्रत्येक बस्ती		
6	जल निकास प्रणाली	प्रत्येक बस्ती		
7	ग्राम पंचायत/वार्ड पंचायत कार्यालय	प्रत्येक ग्राम पचायत/वार्ड पंचायत मुख्यालय		
8	राशन की दुकान	जनसंख्या की प्रति इकाई		
9	आंगनवाड़ी	जनसंख्या की प्रति इकाई		
10	प्राथमिक स्कूल	प्रत्येक बस्ती		
11	माध्यमिक स्कूल	जनसंख्या की प्रति इकाई		
12	कॉलेज	जनसंख्या की प्रति इकाई		
13	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	जनसंख्या की प्रति इकाई		
14	उप केन्द्र	जनसंख्या की प्रति इकाई		
15	अस्पताल	जनसंख्या की प्रति इकाई		
16	पशुचिकित्सा क्लीनिक	जनसंख्या की प्रति इकाई		
17	पुलिस थाना	जनसंख्या की प्रति इकाई		
18	डाकखाना	जनसंख्या की प्रति इकाई		
19	बैंक/उधार अभिकरण	जनसंख्या की प्रति इकाई		
20	सार्वजनिक पुस्ताकालय	जनसंख्या की प्रति इकाई		
21	कृषि विपणन केन्द्र	जनसंख्या की प्रति इकाई		
22	वास्तविक कनेक्टिविटी	प्रत्येक बस्ती		
23	वृहद सिंचाई परियोजनाएं	स्थानीय स्थितियों के अनुसार		
24	मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	स्थानीय स्थितियों के अनुसार		
25	लघु सिंचाई परियोजनाएं	स्थानीय स्थितियों के अनुसार		
26	पूर्णतः विकसित वाटरशेड	स्थानीय स्थितियों के अनुसार		

बुनियादी ढांचा और सेवा गुणवत्ताः आंगनवाड़ी

सुविधा	क्षेत्र : पोषण (आई.सी.डी.एस)	सेवा : आंगनवाड़ी		
	मनक	मानक के अनुसार आवश्यकता	वास्तविक स्थिति	अंतर
आंगनवाड़ी का प्रावधान	प्रत्येक 1500 की जनसंख्या पर			
अवस्थिति	गांव से 1 कि.मी. के भीतर			
आंगनवाडी परिसर	डेडिकेटिड पक्के भवन			
आंगनवाड़ी में मानव संसाधन	प्रत्येक आंगनावाड़ी से 1 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 1 सहायिका			
शौचालय सुविधा	अटैच्ड शौचालय			
जल सुविधा	पेयजल कनेक्शन			
हाथ धोने का स्थान	पर्याप्त जल और साबुन सहित हाथ धोने के लिये अलग स्थान			
उपस्कर	वजन मापने की मशीन, खिलौने, शैक्षिक उपस्कर, प्लेट्स, कटोरियां, नैपकिन, कंगा, नेलकटर			

बुनियादी ढांचा और सेवा गुणवत्ताः स्कूल

क्षेत्र : शिक्षा	सेवा : प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल			
सुविधा	मानक	मानक के अनुसार आवष्यकता	वास्तविक स्थिति	अंतर
प्राथमिक स्कूल				
प्राथमिक स्कूलों का प्रावधान	प्रत्येक बस्ती			
अवस्थिति	गंव से 1 कि.मी. के भीतर			
स्कूल परिसर	डेडिकेटिड पक्के भवन			
शौचालय सुविधा	शौचालय इकाई जिसमें 2 लैट्रिन और 3 यूरीनल्स हों, बालिकाओं के लिये अलग से शौचालय			
कक्षाएं	प्रत्येक 40 छात्रों पर एक कक्षा, सभी कक्षाएं श्यामपट्ट, मानचित्र और सूचात्मक चार्ट युक्त			
स्टाफ	प्रत्येक 40 छात्रों पर 1 अध्यापक तथा एक लिपिक और एक सहायक			
अन्य सुविधाएं	खेल का मैदान			
माध्यमिक स्कूल				
माध्यमिक स्कूलों का प्रावधान	स्थानीय स्थितियों के अनुसार			
स्कूल परिसर	डेडिकेटिड पक्के भवन			
शौचालय सुविधा	1. शौचालय इकाई जिसमें दो लैट्रिन और 3 यूरीनल्स हों, बालिकाओं के लिये अलग से शौचालय			
कक्षाएं	प्रत्येक 40 छात्रों पर 1 कक्षा, सभा कक्षाएं श्यामपट्ट, मानचित्र और सूचनात्मक चार्टयुक्त			
स्टाफ	प्रत्येक 40 छात्रों पर 1 अध्यापक, कुछ महिला अध्यापिकाएं तथा तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ			
अन्य सुविधाएं	अपेक्षित मानक की प्रयोगशालाएं और खेल सुविधाओं तथा जिम्नेजियम सहित एक खेल का मैदान			

बुनियादी ढांचा और सेवा गुणवत्ता : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और ग्रामीण अस्पताल

क्षेत्र : स्वास्थ्य	सेवा : उप केन्द्र, पीएचसी तथा ग्रामीण अस्पताल			
I fo/kk	मानक	मानक के अनुसार आवष्यकता	वास्तविक स्थिति	अंतर
उप स्वास्थ्य केन्द्र				
उप केन्द्र का प्रावधान	प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर			
मानव संसाधन	1. एएनएम, 1 एमपीडब्ल्यू और 1 कार्यकर्ता			
उपस्कर	मेडिकल किट, ओआरएस, डिलीवरी किट और मेज, बी.पी उपकरण और स्टेथेस्कोप			
परिसर	डेडिकेटिड पक्के भवन			
प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र				
पी.एचसी का प्रावधान	प्रत्येक 30,000 की जनसंख्या पर			
मानव संसाधन	1 कंपाउंडर, 2 स्वास्थ्य सहायक, 1 महिला सहायक, 1 लिपिक, 1 ड्राइवर और 5 चपरासी			
उपस्कर	आपरेशन थिएटर और संबंधित उपस्कर, 1 एम्बुलेंस, दवाओं का पर्याप्त भंडार			

क्षेत्र : स्वास्थ्य		सेवा : उप केन्द्र, पीएचसी तथा ग्रामीण अस्पताल		
I fo/kk	मानक	मानक के अनुसार आवष्यकता	वास्तविक स्थिति	अंतर
ग्रामीण अस्पताल				
ग्रामीण अस्पताल का प्रावधान	प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर			
मानव संसाधन	3 चिकित्सा अधिकारी, 1 चिकित्सा अधीक्षक, 4 स्टाफ नर्स, 1 फार्मासिस्ट, 1 कनिष्ठ लिपिक और 1 ड्राइवर तथा अन्य स्टाफ			
उपस्कर	प्रयोगशाला, बाह्य रोग विभाग, अंतःरोगी विभाग, आपरेशन थिएटर एम्बुलेंस और दवाओं का पर्याप्त भंडर			

सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और सेवा गुणवत्ता : अन्य सेवाएं

क्रम	बुनियादी ढांचा		गुणवत्ता मानक	वास्तविक स्थिति
1	पक्की सड़क	प्रमुख जिला सड़कें	सभी मौसमों में उपयुक्त	
		प्रमुख जिला सड़कें		
		ग्राम सड़कें		
		ग्राम की आंतरिक सड़कें और गलियां		
2	बस सेवा		दिन में कम से कम एक बार	
3	विद्युत कनेक्शन		प्रतिदिन कम से कम ....घंटों की आपूर्ति	
4	नलजल योजना		प्रतिदिन कम से कम ....लीटर/प्रति व्यक्ति पेयजल	
5	सार्वजनिक शौचालय		कम से कम एक सीट/...............व्यक्ति	
6	जल निकास प्रणाली		सभी घरों को जोड़ने वाली ढकी नालियां	
7	ग्राम/वार्ड पंचायत कार्यालय		उपयुक्त रिकार्ड कक्ष सहित समर्पित पक्के भवन	
8	राशन की दुकान		आवष्यक खाद्य/ईंधन मदों का सुनिष्चित न्युनतम भंडार	
9	पशुचिकित्सा क्लीनिक		दवाईयों का पर्याप्त भंडार, डाक्टरों और मूलभूत शल्यचिकित्सा/जीवन सहायक सुविधाओं की नियमित उपलब्धता	
10	पुलिस थाना		24 घंटे उपलब्ध एक विष्वसनीय आपातकालीन टेलीफोन लाईन तथा एक मोबाईल स्कवाड	
11	डाकघर		सभी मूल डाक सेवाओं की उपलब्धता	
12	बैंक/उधार अभिकरण		सभी मूलभूत बैंकिंग/उधार सेवाओं की उपलब्धता	
13	सार्वजनिक पुस्तकालय		सभी प्रमुख समाचार पत्रों की उपलब्धता	
14	कृषि–विपणन केन्द्र		बाजार मूल्य संबंधी नवीनतम आंकड़ों की उपलब्धता	
15	वास्तविक संयोज्यता		विश्वसनीय टेलीफोन और डायल अप इंटरनेट संयोज्यता	

दस्तावेज संबंधी आवश्यक सेवाएं

क्रम	स्वेा	मानक	स्थिति	कमी
1	बी.पी.एल कार्ड	पात्र परिवार		
2	राशन कार्ड	पात्र परिवार		
3	मतदाता पहचान–पत्र	पात्र परिवार		
4	ईजीएस कार्ड	पात्र परिवार		
5	जाति प्रमाण पत्र	पात्र परिवार		
6	7/12 सार	पात्र परिवार		
7	गृह संपदा दस्तावेज	पात्र परिवार		

8	जन्म प्रमाण–पत्र	पात्र परिवार		
9	मृत्यु प्रमाण–पत्र	पात्र परिवार		

सार्वजनिक स्वास्थ्य सूचना

सार्वजनिक स्वास्थ्य के निम्नलिखित पहलुओं को दस्तावेजबद्ध किया जाना चाहिए

सार्वजनिक स्वास्थ्य विषेषताएं

श्रेणी	पैरामीटर/संकेतक		पूर्ण संख्या		प्रतिशतता/दर	
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
जन्म–पूर्व अवस्था	कुल गर्भवती महिलाएं		▨		▨	
	रक्ताल्पता/अपर्याप्त बीएमआई वाली महिलाएं		▨		▨	
	टीकाकरण प्रदत्त गर्भवती महिलाएं		▨		▨	
	संचारी रोंगों वाली गर्भवती महिलाएं		▨		▨	
	गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं के मामले		▨		▨	
	संस्थानगत प्रसव		▨		▨	
नवजात अवस्था	मातृ मृत्यु		▨		▨	
	भ्रूण गर्भपात					
	मातृ शिशु जन्म					
	जन्म के समय 2500 ग्राम से कम वजन वाले शिशु					
	जन्म के समय की कमियों/जन्मजात विकलांगता वाले शिशु					
	संचारी रोगों के साथ जन्म लेने वाले शिशु					
शैशवास्था और प्रारंभिक बचपन	नवजात मृत्यु दर					
	कार्यक्रम के अनुसार संपूर्ण टीकाकरण					
	पर्याप्त स्तनपान पोषण संबंधी स्थिति	सामान्य				
		ग्रेड – I				
		ग्रेड – II				
		ग्रेड – III				
		ग्रेड – IV				
	शिशु /बच्चों की मर्त्यता					
सामान्य जनसंख्या	आंगनवाड़ी में नामांकन बीमारी की व्यापकता	मलेरिया				
		तपेदिक				
		एचआईवी एड्स				
	अन्य पुरानी/गंभीर बीमारियां					
	मर्त्यता दर					
	स्वास्थ्य बीमा आवरण					
	महिला नसबंदी आपरेशन		▨		▨	
	पुरूष नसबंदी			▨		▨

सामाजिक आर्थिक सूचना

सामाजिक आर्थिक सूचना निम्नलिखित पैरामीटरों पर दर्ज की जानी चाहिए

साक्षरता और शिक्षा

क्र.	पैरामीटर/सकेंतक	पुरूष	महिला	कुल	प्रतिशत
1.	मूल साक्षरता				
2.	पूर्व–प्राथमिक स्कूल में नामांकन				
3.	प्राथमिक स्कूल में नामांकन				
4.	मध्याह्न भोजन की कवरेज				
5.	माध्यमिक स्कूल में नामांकन				
6.	स्कूल जाने के माध्य वर्ष				
7.	उच्च शिक्षा के लिए नामांकन				
8.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए नामांकन				

रोजगार और स्वरोजगार

क्र.	पैरामीटर/सकेंतक	पुरूष	महिला	कुल	प्रतिशत
1.	खेत संबंधी क्रियाकलापों में स्वरोजगारमूल साक्षरता				
2.	गैर खेत संबंधी क्रियाकलापों में स्वरोजगारपूर्व–प्राथमिक स्कूल में नामांकन				
3.	संगठित क्षेत्र में रोजगार				
4.	असंगठित क्षेत्र में रोजगार (मध्याह्न भोजन की कवरेज)				
5.	कुल वेतन श्रमिक				
6.	ईजीएस के अंतर्गत नामांकित वेतन श्रमिक				
7.	एम्प्लाएमेंट एक्सचेंज में पंजीकृत				
8.	कुल बेरोजगार				
9.	शिक्षित बेराजगार				
10.	कुशल बेरोजगार				
11.	प्रवासी श्रमिक				
12.	बाल श्रमिक				

जिले की अर्थव्यवस्था और वाणिज्य संबंधी जानकारी नीचे दिए गए अनुसार दस्तावेजबद्ध की जाने चाहिए

कृषि और संबंधित खेत.क्षेत्र क्रियाकलाप

क्र	पैरामीटर/संकेतक	इकाई	स्थिति
1.	कुल कृषि भूमि (बागवानी सहित)	हेक्टेयर	
2.	सिंचित कृषि	हेक्टेयर	
3.	गैर–सिंचित कृषि	हेक्टेयर	
4.	पडती भूमि/कृषि के अनपयुक्त भूमि	हेक्टेयर	
5.	औसत जोधारक	हेक्टेयर	
6.	कृषि पर निर्भर भूमिहीन परिवार	संख्या	
7.	प्रति व्यक्ति कृषि उत्पाद	क्विंटल	
8.	कृषि से प्रति व्यक्ति आय	रुपए	
9.	कुल डेयरी पशुधन	संख्या	
10.	चराई के तहत कुल भूमि	हेक्टेयर	
11.	प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन	लीटर	
12.	डेयरी व्यवसाय से प्रति व्यक्ति आय	रुपए	
13.	पंजीकृत डेयरियों की कुल संख्या	संख्या	
14.	मांस वाले पशुओं की कुल संख्या	संख्या	
15.	प्रति व्यक्ति मांस उत्पादन	क्विंटल	
16.	मांस उत्पादन से प्रति व्यक्ति आय	रुपए	
17.	पंजीकृत मुर्गी पालन/सुर पालन/बकरी पालन फार्मो की कुल संख्या	संख्या	
18.	पंजीकृत मत्स्य पालन/मत्स्य पालन से जुड़े परिवार/मत्स्य पालन से जुड़ी फर्मो की कुल संख्या	संख्या	
19.	,प्रति व्यक्ति मत्स्य उत्पादन	क्विंटल	
20.	मत्स्य उत्पादन से प्रति व्यक्ति आय	रुपए	
21.	व्यावसायिक वन कृषि के तहत कुल भूमि	हेक्टेयर	
22.	प्रति व्यक्ति वन उत्पाद (लकड़ी, गैर लकड़ी)	क्विंटल	
23.	वन उत्पाद से प्रति व्यक्ति आय	रुपए	

उद्योग और वाणिज्य

क्र	पैरामीटर/संकेतक	इकाई	स्थिति
1.	उद्योगों के तहत कुल भूमि	हेक्टेयर	
2.	प्राथमिक क्षेत्र उद्योगों की कुल संख्या	संख्या	
3.	द्वितीयक क्षेत्र उद्योगों की कुल संख्या	संख्या	
4.	तृतीयक क्षेत्र उद्योगों की कुल संख्या	संख्या	
5.	राज्य के स्वामित्व वाले औद्योगिक क्षेत्र	संख्या	
6.	विशेष क्षेत्र के उद्योगों की प्रतिशतता	संख्या	
7.	संगठित क्षेत्र के उद्योगों की प्रतिशतता	संख्या	
8.	कृषि से प्रति व्यक्ति आय	प्रतिशत	
9.	प्रदूषक/जोखिमपूर्ण उद्योगों की प्रतिशतता	प्रतिशत	
10.	उद्योग से प्रति व्यक्ति आय	रुपए	

घरेलू आय और सुविधाएं

क्र	पैरामीटर/संकेतक	इकाई/मानक	स्थिति	कमी
1.	औसत पारिवारिक आय	रुपए		
2.	औसत पारिवारिक व्यय	रुपए		
3.	औसत पारिवारिक ऋण	रुपए		
4.	पक्के घरों में रहनेवाले परिवार	प्रत्येक परिवार		
5.	विद्युत आपूर्ति वाले घर	किवा/प्रति व्यक्ति/ प्रति दिन		
6.	पेयजल आपूर्ति वाले घर	लीटर/प्रति व्यक्ति/ प्रति दिन		
7.	संबद्ध (अटैच) शौचलाओं वाले घर	प्रत्येक घर		
8.	मिट्टी के तेल की आपूर्ति वाले घर	लीटर/ प्रति व्यक्ति /प्रति दिन		
9.	कुकिंग गैस कनेक्शन वाले घर	सिंगल / डबल सिलेंडर		

सामाजिक सुरक्षा

क्र	पैरामीटर/संकेतक	पुरूष	महिला	कुल
1.	सार्वजनिक/निजी भविष्य निधि की कवरेज			
2.	सार्वजनिक/निजी पेंशन की कवरेज			
3.	जीवन/आजीविका बीमा की कवरेज			
4.	बिना आजीविका वाले 15 वर्ष से कम आयु के लोग			
5.	बिना आजीविका वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग			
6.	बिना आजीविका वाले गंभीर रूप से विकलांग			
7.	बिना आजीविका वाले प्राणघातक रूप से बीमार लोग			
8.	मिट्टी के तेल की आपूर्ति वाले घर			
9.	कुकिंग गैस कनेक्शन वाले घर			

संदर्भ ग्रन्थः

- भारत का संविधान, विधि और कानून मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2005।
- समेकित जिला नियोजन मैनुअल, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2008।
- समेकित जिला मैनुअल, राज्य योजना आयोग मध्य प्रदेश, 2010।
- सोशल ऑडिटः एक रिर्सोस किट – प्रिया, 2008।
- सोशल ऑडिट–सामाजिक विकास में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, वी.ए.एन.आई (वाणी), नई दिल्ली।
- समाजिक बदलाव एवं युवा दलित महिलायें – भूमिकायें और अवसर (संदर्भ पुस्तिका), प्रिया, 2010।
- वार्षिक प्रतिवेदन, प्रिया – राज्य परियोजना कार्यालय, राजस्थान, 2006।
- वार्षिक प्रतिवेदन, प्रिया नई दिल्ली 2009–10।